कुरुक्षेत्र

दिसम्बर, 1989 मूल्य दो रुपये

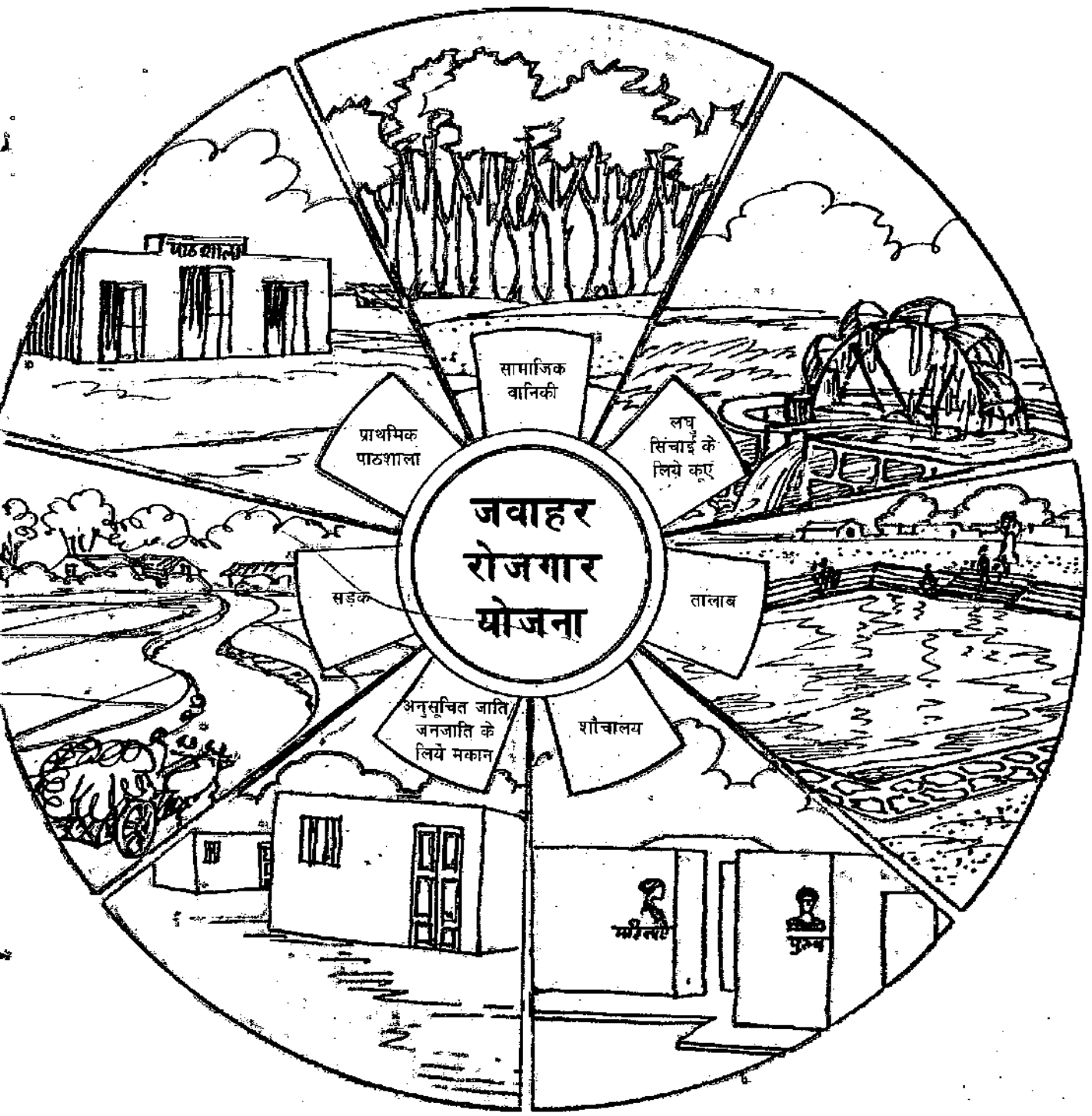

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले निर्धन पुरुषों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना है। इसके लिए सड़क निर्माण तथा अन्य सार्वजिक सम्पत्ति निर्माण कार्य कराया जायेगा।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष–35, अंक 2, अग्रहायण-पौष, शक-1911

कार्यवाहक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक : राकेश शर्मा

उत्पादन अधिकारी : राम स्वरूप मुंजाल
आवरण पृष्ठों की साज सज्जा : अलका
चित्र : फोटोग्राफर–रमेश कुमार
ग्रामीण विकास विभाग से साभार

एक प्रति : 2.00 रु.
वार्षिक चंदा : 20 रु.

विषय सूची

ग्रामीण विकास एवं जवाहर रोजगार योजना 2
एम. सी. सती

दशक की सबसे कारगर योजना 4
अजय शर्मा

जवाहर रोजगार योजना 6
भैरव दत्त पांथरी

ग्रामीण निर्धनों के लिए खुशी का पैगाम 7
वेद प्रकाश अरोड़ा

जवाहर रोजगार योजना 10
इन्दु

चलो गांव की ओर 13
लेख राम चौहान

ग्रामीण विद्युतीकरण 14
अरविन्द कुमार जैन

मुस्कान (कहानी) 16
श्रीमती सुधा मल्होत्रा

जवाहर रोजगार योजना : एक विश्लेषण 18
मधुकर उपाध्याय

ग्रामीण जन कल्याण में बैंक साख 21
डा. जे. आर. गुप्ता

वनों के संरक्षण के उपाय 25
निरूपम

जवाहर रोजगार योजना– जीवनदायिनी संजीवनी 28
ओ. पी. त्रिपाठी

राजस्थान के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बैंकों की सक्रिय भूमिका 30
अशोक नागर

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से बेरोजगार गरीबों के आंसू पोंछना संभव 33
डा. नरेश कुमार

ग्रामीण बेरोजगारी एवं जवाहर रोजगार योजना 35
शिवेन्द्र नारायण सिंह

तुलसी 37
अशोक कुमार

ग्रामीण बाजार–पहुंच की चुनौती 38
डा. अजय जोशी

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 384888

ग्रामीण विकास एवं जवाहर रोजगार योजना

एम. सी. सती

भारतीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए कई प्रयास किए गए जो आज भी निरन्तर जारी हैं। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि गांवों का समुचित विकास करके भारत 21वीं शताब्दी में विश्व मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत में अनेक विकास कार्यक्रम चालू किये गए जिनमें लघु कृषक, सीमान्त एवं खेतिहर मजदूरों के लिए 'उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम', 'पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम', 'ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम' तथा 'पौष्टिक पदार्थ कार्यक्रम' आदि। परन्तु इनमें से कोई भी कार्यक्रम ऐसा न था जो सम्पूर्ण देश में फैला हो, फलस्वरूप 1979-80 में ग्रामीण विकास एवं रोजगार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया, परन्तु ग्रामीण विकास, निर्धनता निवारण व ग्रामीण रोजगार सृजन में ये योजनाएं अपेक्षित सफलता प्राप्त न कर सकीं। परिणामस्वरूप ग्रामीण रोजगार की समस्त योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में विलीन करने का निर्णय लिया गया।

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बेरोजगार व अर्द्ध बेरोजगार पुरुष एवं महिलाओं को उपयोगी अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना का दूसरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है जो उनकी आधारभूत आर्थिक व सामाजिक अवस्थापनाओं के सुदृढ़ीकरण में सहायक हों, जो अर्थव्यवस्था की प्रगति हेतु उत्प्रेरक हों एवं ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक स्तर में स्थाई सुधार लाने हेतु लाभदायक सिद्ध हों, साथ ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में उपयोगी हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना के लक्ष्य क्षेत्र में रखा गया है। इन परिवारों में निम्नलिखित को रोजगार के अवसर सृजित कराने में प्राथमिकता क्रम में रखा गया है—(1) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व अर्द्ध बेरोजगार व्यक्ति, (2) योजना का 30 प्रतिशत रोजगार ग्रामीण महिलाओं को आरक्षित, (3) अन्य पिछड़ी जाति के परिवारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने हेतु विशेष प्रयास।

योजना में जिला स्तर पर व ग्राम स्तर पर अलग-अलग कार्यदायी संस्थाएं गठित की जाएंगी। जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के सम्बंध में समन्वय, निरीक्षण, समीक्षा तथा अनुश्रवण का कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) द्वारा किया जाएगा, जो प्रदेश सरकार को सभी अपेक्षित सूचनाएं व मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण समयानुकूल भेजने में उत्तरदायी होगा। ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन का भार ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। योजना के नियोजन तथा कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर होगा। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण का दायित्व विकास खण्ड व जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का होगा।

जवाहर रोजगार योजना में ग्राम पंचायतों को धन का आबंटन उनकी आबादी के आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु 1000 से कम आबादी वाली ग्राम सभाओं की आबादी 1000 मानी जाएगी तथा इससे अधिक आबादी वाली ग्राम सभाओं को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुसार धन स्वीकृत किया जाएगा। योजना में कुल परिव्यय का 80 प्रतिशत केन्द्र द्वारा तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा देय होगा। ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले परिव्यय में से 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय तथा 10 प्रतिशत अनुरक्षण पर व्यय किया जाएगा। प्रशासनिक व्यय हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर हिसाब के रख-रखाव तथा तकनीकी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु किया जाएगा।

योजना में संसाधनों का उपभोग विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार के कार्यों में किया जाएगा—

(1) कुल परिव्यय का 35 प्रतिशत आर्थिक रूप से उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु रखा गया है। इसके अन्तर्गत लघु सिंचाई, भूमि व जल संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, क्षतिग्रस्त हौजों की मरम्मत आदि पर व्यय किया जाएगा।

(2) 25 प्रतिशत व्यय सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत किया जाएगा, जो सरकारी तथा सामुदायिक भूमि के प्रयोजन हेतु निर्धारित किया गया है।

(3) 15 प्रतिशत व्यय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाली योजनाओं में किया जाएगा; जिसमें गृहों का निर्माण, अवस्थापना सुविधाएं, भूमि विकास, सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई, पेयजल, सड़क आदि। ये कार्य सामुहिक व व्यक्तिगत भी किए जा सकते हैं।

(4) 25 प्रतिशत व्यय अन्य कार्यों में निहित होगा। इसमें सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि सम्मिलित हैं, परन्तु इसमें प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी सामूहिक इमारत के लिए 40 प्रतिशत भाग की व्यवस्था ग्राम पंचायत को करनी होगी।

श्रम व सामग्री अंश

ग्राम सभा को आबंटित कुल संसाधनों में से कम से कम 50 प्रतिशत संसाधन मजदूरी के रूप में व्यय करना आवश्यक माना गया है। यदि किन्हीं योजनाओं में सामग्री का अंश 50 प्रतिशत से अधिक है तो अतिरिक्त सामग्री अंश के लिए ग्राम पंचायत अपने संसाधनों से व्यय करेगी। जवाहर रोजगार योजना में दैनिक मजदूरी दर 18 रुपये निर्धारित की गई है।

ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्रामों की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की बैठक में गम्भीरता से विचार-विमर्श करके वर्ष में होने वाले कार्यों को चयन करेगी। ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं की जाएगी जो अधिकतम दो वर्ष के भीतर पूर्ण न हो सके। कार्य योजना तैयार करते समय ग्रामीण निर्बल वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा तथा प्राथमिकता क्रम में क्रमशः अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं व निर्बल वर्ग के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के आधार पर क्रियान्वित किए जाएंगे।

ग्राम पंचायतें अपनी परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु स्वयं सक्षम होंगी, परन्तु योजना की स्वीकृति से पहले विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी से आवश्यकतानुसार तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। इस परीक्षण में प्रत्येक प्रकार के कार्यों को निर्धारित मानक आगणन को मद्दे नजर रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित योजनाओं में व्यय श्रमांश पर 50 प्रतिशत से कम हो। आरक्षित लाभार्थियों हेतु 15 प्रतिशत धनराशि निर्बल वर्ग को ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु रखी गई है। योजना में तकनीकी परीक्षण के लिए निजी क्षेत्र के तकनीकी व्यक्तियों (अभियन्ताओं, लेखपालों) की सेवाएं भी अनुमन्य हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि डी. आर. डी. ए. द्वारा अलग से किसी व्यावसायिक बैंक/सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/डाकघर में से किसी एक निकटवर्ती में खाता खोला जाएगा, जो बचत खाता होगा। इस खाते में प्राप्त ब्याज योजना का ही अंग होता। उक्त खाते में से धन का आहरण ग्राम सभा के प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। भुगतान की पुष्टि ग्राम पंचायत की बैठक में की जाएगी।

इस योजना में ठेकेदारी प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। कार्य किसी भी मध्यस्थ अथवा संस्था के माध्यम से नहीं किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वयं किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों के मस्टरौल रखे जाएंगे जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन तथा महिलाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

योजना का सूक्ष्म अनुश्रवण राज्य जिला व विकास खण्ड द्वारा अलग-अलग किया जाएगा। योजना का पर्यवेक्षण ग्राम पंचायत की एक कमेटी द्वारा किया जाएगा जिसमें कम से कम एक सदस्य निर्बल वर्ग का होना आवश्यक होगा एवं ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यों का भौतिक व वित्तीय मूल्यांकन कराना आवश्यक होगा। योजना पर सामाजिक नियंत्रण हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य बुलाई जाएगी, जिसमें ग्राम सभा का कोई भी सदस्य योजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रश्न पूछ सकता है।

जवाहर रोजगार योजना कई दृष्टिकोणों से अन्य प्रचलित ग्रामीण विकास एवं रोजगार योजनाओं से श्रेष्ठ कही जा सकती है, किन्तु योजना की सफलता के लिए आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की, ठोस आर्थिक नीति की, एवं श्रम प्रधान तकनीक को प्रोत्साहित करने व योजना को ईमानदारी से क्रियान्वित करने की। ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करके ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का दुष्चक्र भेदा जा सकेगा, अन्यथा ग्रामीण विकास के लिए योजना की सफलता की बात केवल मृगतृष्णा साबित होगी तथा समृद्ध व सर्वसम्पन्न ग्रामीण भारत की कल्पना अर्थहीन होकर रह जाएगी। अतः योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि उक्त महत्वपूर्ण बातों को अमल में लाया जाए क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह नितान्त आवश्यक हो गया है।

अर्थशास्त्र विभाग,
हेम. न. ब. ग. वि. वि. श्रीनगर, गढ़वाल

दशक की सबसे कारगर योजना

अजय शर्मा

जवाहर रोजगार योजना को बेशक इस दशक की सबसे कारगर सरकारी योजना माना जा सकता है, क्योंकि इसके जरिये इतने अल्प समय में ही जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वे बेमिसाल हैं! अभी तो यह योजना अपने शुरुआती दौर में ही है, अगले कुछ महीनों में निश्चित ही इसके और भी शानदार नतीजे सामने आएंगे। अभी तक की सरकारी योजनाओं में इक्का-दुक्का योजनाएं ही ऐसी रही हैं, जिन्होंने जवाहर रोजगार योजना के समकक्ष उपलब्धियां हासिल कीं। सरकार ने जब इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी तो अटकलें लगाई जा रहीं थी कि यह योजना बुरी तरह नाकाम हो जाएगी और इससे प्रधानों और सरपंचों के घर ही भरेंगे। लेकिन ये अटकलें और अफवाहें थोथी साबित हो गई हैं। हालांकि कई जगह से योजना के लिए मिली रकम के गलत इस्तेमाल और काम न होने की खबरें भी मिली हैं। लेकिन ऐसी हरकतें आटे में नमक के बराबर हैं और सरकार उन पर कार्रवाई भी कर रही है। आज यह योजना ग्रामीण गरीबों को साल के कम काम वाले दिनों के दौरान पूरक रोजगार-उपलब्ध कराने के हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रमुख अंग है। ग्रामीण इलाकों में बसने वाले निर्धन लोगों को रोजगार मुहैया कराने के अलावा इस योजना से सामाजिक वानिकी, तालाब निर्माण, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, ग्रामीण सड़कें और सामुदायिक भवन बनाने आदि के क्षेत्रों में भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। यह पहली बड़ी योजना है जिसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए रोजगार के अवसर आरक्षित किए गए हैं। इस कदम का लोगों ने बड़ा स्वागत किया है और इसके अच्छे नतीजे भी निकले हैं।

आजादी के बाद हम तमाम तरह के विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के बावजूद ग्रामीण बेरोजगारी और अल्प रोजगारी पर काबू पाने में सफल नहीं हो सके हैं। इस विफलता का ग्रामीण आबादी के निर्धनतम वर्ग पर उल्टा असर पड़ा और वहां गरीबी लगातार बढ़ती ही गई। तरक्की और आगे बढ़ने के इस सुनहरे दौर में भी हमारे सामने बेरोजगारी और रोजगार के कम अवसर सबसे बड़ी रुकावटें हैं। इसी कारण ग्रामीण सुविधाहीन हैं और गरीब परिवारों की महिलाएं तो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद हैं। खासकर इन्हीं तबकों के लिए जवाहर रोजगार योजना में बहुत उजले अवसर हैं। संतोष की बात तो यह है कि ये लोग इन अवसरों का अच्छा इस्तेमाल करके लाभान्वित भी हो रहे हैं!

प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि गरीबी दूर करने के लिए काम करना हमारा पहला राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्हीं से हमारी भारत सरकार ने प्रेरणा ली कि ग्रामीण भारत की बेरोजगार और कम रोजगार प्राप्त जनता की दिक्कतों को दूर करना या कम करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रयास है। और इस नेहरू शताब्दी वर्ष में पंडित नेहरू को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और हो भी क्या सकती थी कि हम ग्रामीण गरीबों को बड़े पैमाने पर रोजगार दिलाने के लिए कुछ करें।

इस कार्यक्रम का खास मकसद देश भर की ग्राम पंचायतों को पर्याप्त नगद रकम देना है ताकि वे भारी संख्या में अपने बेरोजगार लोगों के लिए ग्राम स्तर पर ही रोजगार योजनाएं चला सकें। यह अनुमान है कि पिछले सात वर्षों में ग्रामीण रोजगार के विभिन्न कार्यक्रम देश भर की 55 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक ही पहुंच सके। जबकि जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य हर पंचायत तक पहुंचने का बनाया गया और इसमें आश्चर्यजनक सफलता मिल रही है। सरपंचों या प्रधानों के हाथों में सीधा पैसा पहुंचने से उनमें जिम्मेदारी का भाव आ जाता है और वे बड़े संभल-संभल कर गांव की भलाई के लिए ही खर्चते हैं। इस योजना के तहत काम ग्राम स्तर पर ही होना है। दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से बनने और लागू होने वाले कार्यक्रमों या योजनाओं में ग्राम विशेष की छोटी-मोटी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। जबकि जवाहर रोजगार योजना इस तरह के कामों को पूरा करने में काफी कारगर साबित हो रही है। काम भी तुरत-फुरत हो रहे हैं, क्योंकि पंचायतों को अपने कामों के लिए नौकरशाहों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और न ही उनके गांव की कल्याण योजनायें सरकारी फाइलों में उलझ रही हैं। यह भी इस योजना की एक खासियत ही मानी जा सकती है।

भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण निर्धनता को दूर करना प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अक्तूबर 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम ने काम के बदले अनाज योजना की जगह ली और यह 1 अप्रैल 1981 से अमल में आया। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर लागू किया गया था अर्थात इसका आधा खर्च केन्द्र देता था और आधा खर्च उस राज्य की सरकार। इसके कुछ समय बाद 15 अगस्त 1983 से एक और कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। सौ फीसदी केन्द्रीय मदद से चलने वाले इस कार्यक्रम का असली उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार और विस्तार करना था ताकि ऐसे हरेक परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में सौ दिन का रोजगार दिलाने की गारंटी तो दी ही जा सके। हालांकि इन दोनों कार्यक्रमों ने खासी प्रगति की और सफलताएं अर्जित कीं। लेकिन लक्ष्य से ज्यादा काम होने के बावजूद इनमें कुछ खामियां भी थीं। मसलन् 55 फीसदी गांव ही इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके। अपर्याप्त निवेश और आर्थिक रूप से गैर उत्पादक कार्यों पर काफी खर्च किया जाना इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी कमी रही। लगभग 48 प्रतिशत रकम तो सड़कों और विभिन्न प्रकार की इमारतों के निर्माण पर ही खर्च हो गई थी। वैसे दोनों कार्यक्रमों के जरिए सालाना 70 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार पैदा किया जा सका था।

उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की कमियों को दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने वर्ष 1989-90 के अपने बजट भाषण में एक नई गहन रोजगार योजना, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना रखा गया था, की घोषणा की। गरीबी और बेरोजगारी वाले 120 जिलों में इस योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। लेकिन थोड़े दिन बाद ही इस योजना को एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के साथ मिलाकर नई जवाहर रोजगार योजना की घोषणा की गई। इसके संचालन के पहले वर्ष अर्थात चालू वित्तीय वर्ष में ही 2600 करोड़ की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इस रकम का 20 प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी, जो इसके अतिरिक्त है। इतनी मोटी रकम मात्र एक वर्ष के खर्च के लिए मुहैया कराने के फैसले से साफ है कि सरकार हर कीमत पर ग्रामीण निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।

मौजूदा योजना का ढांचा इसकी परिपक्वता को बिल्कुल साफ कर देता है। इसका ढांचा कुछ इस तरह का है कि राज्यों को गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आबंटित की जा रही है। यह धनराशि फिर जिलों को सौंपी जा रही है, जिसका निर्धारण पिछड़ेपन के मानदंड के अनुसार हो रहा है। इन मानदंडों में जिले की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आबादी का हिस्सा, कुल मजदूरों की तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात और कृषि उत्पादकता का स्तर आदि शामिल है। भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी, मरुस्थली या द्वीपसमूह की जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जवाहर रोजगार योजना पर संसद में वक्तव्य देते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई थी कि इसके कार्यान्वयन के लिए हर साल चार हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत को 80 हजार से लेकर एक लाख तक की रकम मिलेगी और हर ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके घर के पास ही साल में 50 से 100 दिन तक मजदूरी मिलेगी। योजना के तहत रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और खानाबदोश लोगों की विशेष तरह की रोजगार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष समन्वित परियोजनाएं अमल में लाई जा रही हैं।

इस योजना से लोगों की एक यह बड़ी शिकायत दूर हो रही है कि मौजूदा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एक छोटा-सा हिस्सा ही लाभार्थियों तक पहुंच पाता है और बड़ा हिस्सा बिचौलिए पचा जाते हैं। कई स्तरों पर रकम का दुरुपयोग होना या बर्बाद होने की शिकायत भी आम थी। पर जवाहर रोजगार योजना इस शिकायत से मीलों दूर है। पैसा सीधा ग्राम प्रधानों को मिल रहा है। अब यह गांव वालों का कर्तव्य है कि वे प्रधान पर जोर डालकर गांव के लिए वास्तव में उपयोगी कार्यक्रम उससे लागू करवाएं। चूंकि योजना पंचायती राज संस्थानों के जरिए लागू की जा रही है, इसलिए इस पर अमल इतना अधिक खुला और साफ सुथरा है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। हर ग्रामवासी को यह भी पता रहता है कि योजना लागू करने हेतु कितनी रकम उसके गांव की पंचायत को मिली है और वह किन-किन मदों में व्यय की जानी है। यह भी सबको पता रहता है कि इन योजनाओं में गांव के कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं और उनमें कितनी महिलाएं और कितने लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं।

इसमें अगर किसी तरह धांधली हो रही है तो वह तुरन्त पकड़ में आ सकती है बस लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इतनी खुली योजना होने के कारण ग्राम प्रधान भी सतर्क हैं और वे पाई-पाई सही कामों में लगा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, "पंचायतों और ग्राम समुदायों को अपने प्रस्ताव तैयार करने चाहिए। हम अब केवल

शीर्ष स्तर पर ही कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपने लाखों लोगों को संगठित करना है और इन महान कार्यों में उन लोगों को हिस्सेदार और साझीदार बनाना है।" इस योजना से पंडितजी का उपरोक्त स्वप्न पूरा हो गया लगता है। क्योंकि गांव वाले अपने स्तर पर ही योजनाएं बना रहे हैं और खर्च कर रहे हैं।

इस योजना को लोकप्रिय और सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसकी खासियतों का है। इसमें राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता का आबंटन केवल ग्रामीण गरीबी के आधार पर किया जा रहा है। हर जिले को आबंटित की गई निधियों का कम से कम 80 फीसदी भाग जिले की ग्राम पंचायतों/मंडलों में इंदिरा आवास योजना के लिए तय छह प्रतिशत को अलग रखकर दिया जा रहा है। इस योजना में संसाधनों के अपवर्तन की अनुमति भी नहीं है। इस कारण इसके लिए तय रकम कहीं और खर्च करने का अंदेशा भी जाता रहता है। एक जिले से दूसरे जिले को अपवर्तन की अनुमति की बात तो छोड़िए, एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत तक को भी संसाधनों की इजाजत नहीं है। साथ ही यह भी बंदिश है कि ग्राम पंचायत धनराशि का उपयोग उसी वर्ष में कर ले, जिस वर्ष के लिए उसे वह दी गई है। इस तरह रकम 'लेप्स' होने का भी डर नहीं है।

नाम से यह योजना रोजगार प्रदान करने का ही कोई कार्यक्रम लगती है। पर इसमें ग्रामीण विकास के लिए जरूरी दूसरी चीजों को भी पर्याप्त जगह दी गई है। इनमें सामाजिक वानिकी उल्लेखनीय है। अभी तक सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम अलग से चलाए जाते रहे हैं और वे ज्यादातर रस्मी ही रहते हैं। इस कारण उनका ज्यादा असर नहीं हो पाता है। जवाहर रोजगार योजना के जरिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को पहली बार रोजगार से जोड़ा गया है, जो अपने आप में अनोखी चीज है। सामाजिक वानिकी के जरिए ग्रामीण समुदाय को रोजगार देने के अलावा इसमें भूमि और नमी संरक्षण उपाय भी शामिल हैं ताकि पौधे सुरक्षित रहें और योजना नाकाम न हो।

इस तरह हम देखते हैं कि जन-जन के कल्याण के लिए बनी यह योजना बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। अभी तो इसे जनता का सहयोग भी अच्छा मिल रहा है। इसी सहयोग में तो उसकी आगे की सफलता भी छिपी है।

189-ए, माधव नगर, (ए. जी. आफिस के सामने),
झांसी रोड, लश्कर,
ग्वालियर-474002, (मध्य प्रदेश)

'जवाहर रोजगार योजना'

भैरव दत्त पांथरी

जवाहर, तुम्हारी मधुर याद हमको,
जवाहर नई योजना मन लुभाती,
सभा मंच में गांव की जनसभाएं,
श्रमिक के परिश्रम को है जनाती (1)

बेकारी, जन शिक्षितों, निर्बलों की,
उन्हें काम दे, दूर करना सिखाती,
परिश्रम ही यज्ञ है और पूजा,
रहो, गांव में काम अपना कराती (2)

सुधारो, संवारो सभी मार्ग अपने,
सघन वन बनाओ, फलोद्यान सजाओ,
कृषिक वाटिका, खेत-खलिहानों को,
ये श्रम सीकरों से सिंचाना सिखाती (3)

सभी एक जुट हों, सभी एक मत हों,
मिले न्याय सबको, रहें स्वस्थ सुन्दर,
बनें स्वावलम्बी, रहें आत्म निर्भर,
अभ्युत्थान सबका करना सिखाती (4)

गांधी, जवाहर तुम्हारे अनुयायी,
साकार स्वप्ने करेंगे तुम्हारे,
लाएंगे गांवों में, घरों में खुशहाली,
समृद्ध भारत बनाना सिखाती (5)

ग्राम प्रधान, ग्राम दलीबौ,
पी. ओ. नौगांवखाल, पौड़ी गढ़वाल

ग्रामीण निर्धनों के लिए खुशी का पैगाम

वेद प्रकाश अरोड़ा

सातवीं योजना के मसौदे के दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि सन् 2000 तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या आबादी का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं रहेगी और लगभग सभी को रोजगार मिलने की संभावनाएं उत्पन्न की जायेंगी। यहां प्रश्न उठता है कि गरीबी की रेखा के नीचे किसे माना जाए। इसका जवाब छठी योजना में दिया गया है। इसमें निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उसी व्यक्ति को गरीबी की रेखा के नीचे माना जायेगा जिसे देहाती इलाकों में प्रतिदिन 2400 और शहरी इलाकों में 2100 से कम कैलोरी प्राप्त हो। इसी योजन में इस घोर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किए गए जो 1988-89 तक चलते रहे। 1989-90 के बजट में देहाती इलाकों में विकराल होते जा रहे बेरोजगारी के दैत्य पर चौतरफा आक्रमण करने के लिए गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसका नाम जवाहर रोजगार योजना रखा गया। इससे पहले श्री राजीव गांधी ने 20 अगस्त 1986 को जिस नए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, उसके पहले सूत्र में ही ग्रामीण निर्धनता पर प्रहार करने की बात कही गई थी। नेहरू जन्म शताब्दी के इस वर्ष में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि के रूप में बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई है। नेहरू रोजगार योजना ग्यारह अक्तूबर को लागू की गई। नेहरू रोजगार योजना के तीन अंग हैं जिनका सम्बन्ध क्रमशः दिहाड़ी पर रोजगार देने, मकान बनाने तथा छोटे-छोटे धंधे शुरू करने से है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू को नए भारत के निर्माण तथा जोत की कृषि भूमि, जुताई करने वालों को देने के लिए तथा श्रीमती इंदिरा गांधी को राजा-महाराजाओं के प्रीवीपर्स समाप्त करने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए याद किया जाता है। इसलिये जहां तक जवाहर रोजगार योजना का सम्बंध है वह ग्रामीण भारत में बेरोजगारी के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का तुमुल घोष और व्यावहारिक कदम है, याद रखा जायेगा। इससे गरीबों के आंसू पोंछने की ही नहीं उनकी दरिद्रता कम करने की महात्मा गांधी की हार्दिक अभिलाषा को मूर्त रूप मिल सकेगा। जवाहर योजना से गरीबी की रेखा के नीचे कंगाली में दिन बसर करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के 4 करोड़ 40 लाख परिवारों और अगर एक परिवार में औसत से पांच सदस्य हों तो 22 करोड़ व्यक्तियों को लाभ होगा। इस योजना से इन गरीबों के मुरझाए जीवन में कुछ मुस्कानें बिखर सकेंगी। कारण प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को वर्ष में लगभग 100 दिन लाभकारी रोजगार मिल सकेगा। साथ ही रोजगार देते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसे रोजगार अपने घर के पास मिले। रोजगार के मामले में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। 30 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जायेंगी। इस संदर्भ में विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दिलचस्प बात बताई है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले भारतीय परिवारों में 35 प्रतिशत की मुखिया महिलाएं हैं और अधिकतर मामलों में ये परिवार पूरी तरह महिलाओं की आय पर ही निर्भर करते हैं। जिन परिवारों में कमाने वाले पुरुष भी हैं, उन परिवारों में भी महिलाओं की आय कुल आय का बहुलांश होती है। वैसे भी परिवारों का गुजारा चलाने में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अंशदान अधिक होता है। कृषि क्षेत्र में तो महिलाएं कुल श्रमिकों का लगभग आधा है। इसलिए जितनी अधिक संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलेगा, उतना अधिक इन गरीब परिवारों की दशा में सुधार होगा।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पंचायतों को कुल आबंटित राशि का पंद्रह प्रतिशत ऐसे कार्यों पर खर्च करना होगा जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ हो। इस पंद्रह प्रतिशत राशि का उपयोग अन्य कार्यों पर करने की सख्त मनाही है। दूसरी अनिवार्यता यह है कि साधनों का कम से कम 50 प्रतिशत अकुशल मजदूरों को वेतन देने पर खर्च करना होगा। शेष रकम का उपयोग ग्राम पंचायतें, स्थाई और उत्पादक सामुदायिक परिसम्पदा के निर्माण के लिए कर सकती हैं। इस शेष राशि के उपयोग में जिला अधिकारी न तो कोई अंकुश लगा सकते हैं और न अनुचित हस्तक्षेप ही कर सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सारी राशि का उपयोग उसी वर्ष कर दिया करेंगी जिस वर्ष के

लिए यह उन्हें दी गई हो। एक ही जिले में दो या दो से अधिक जिला पंचायतें अगर चाहें तो वे साझे लाभ के कामों के लिए अपने साधनों को इकट्ठा कर सकती हैं। लेकिन किसी एक जिले के साधनों का उपयोग किसी दूसरे जिले में करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अनुमान लगाया गया है कि पिछले सात वर्षों में विभिन्न ग्रामीण रोज़गार योजनाओं का लाभ कुल गांव पंचायतों के केवल 55 प्रतिशत को मिला है। लेकिन अब सभी रोजगार योजनाओं को नई जवाहर रोजगार योजना में मिला कर यह सुनिश्चित किया गया है कि इसका लाभ प्रत्येक पंचायत को मिले। आशा की जाती है कि तीन हजार से चार हजार की जनसंख्या वाली प्रत्येक गांव पंचायत को औसत से 80 हजार से एक लाख रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। योजना का लाभ अधिक से अधिक गरीबों को मिले इसके लिए बिचौलियों, ठेकेदारों और सत्ता के दलालों को हटा दिया जायेगा। सभी रोजगार योजनाओं को समेकित रूप से चलाने से प्रशासन के खर्च में किफायत होगी। इसके अलावा पंचायतों को सीधे राशि मिलने और इस राशि को उनके स्वयं ही खर्च करने से लोगों को अधिक संख्या में अधिक रोजगार मिल सकेगा तथा अधिक राशि गरीबों में वितरित की जा सकेगी। रोजगार देने का प्रबन्ध, खर्च तथा विभिन्न विकास कार्यों का संचालन—सभी कुछ पंचायतों के हाथ में होने से भ्रष्टाचार, हेराफेरी, और घपलों की गुंजाइश समाप्त हो जायेगी। सारी योजना एक खुली पुस्तक की तरह होगी। प्रत्येक परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर उनके व्यय तथा प्रगति पर चौपालों एवं पंचायतों में खुले में विचार-विमर्श होने से ग्रामीणों से कुछ छिपा नहीं रहेगा। यहां तक कि प्रत्येक ग्रामीण को मालूम होगा कि अमुक कार्यक्रम के लिए कितना धन उपलब्ध है, किस ग्रामीण को किस कार्य पर लगाया गया है, उसे कितना मेहनताना मिल रहा है, उसकी अपनी मजदूरी दूसरे किसी ग्रामीण की मजदूरी से कम है या अधिक। उसे तथा अन्य लोगों को कितने दिन काम मिल रहा है। जिन लोगों को धोखा दिया गया हो, या जिन लोगों से ज्यादती की गई हो, वे सभी तुरंत अपनी शिकायत को दूर करा सकेंगे। अगर किसी पंच या सरपंच ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया तो ग्रामीणों को उसे अपने वोटों से हटा देने का अधिकार होगा। कार्यक्रम से गांव-गांव में लोकतंत्र व्यावहारिक रूप में स्थापित होगा। हर बात के लिए ऊपर के निर्देश-आदेश की प्रतीक्षा करने की लीक से हटकर स्वयं पहल करने की देशव्यापी नई परंपरा की शुरुआत होगी। सरकार ने 1989 के वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र का हिस्सा 21 अरब और राज्यों का हिस्सा पांच अरब रुपये यानी मोटे तौर पर 80 और 20 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया है। केन्द्र ने अपने हिस्से की सारी राशि जिला परिषदों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को दे दी है। यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें भी जवाहर रोजगार योजना के लिए पांच अरब रुपये का अपना अंश तुरंत दे देंगी।

योजना को मुस्तैदी से चलाने से गांव के चेहरे तो निखरे-संवरे और चमकेंगे ही, इससे अर्ध रोजगारी या गांवों में कुछ महीनों खाली बैठे रहने की आदत से भी काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। काम मिलने पर ग्रामीणों का रोजगार की तलाश में अन्य जिलों तथा शहरों की तरफ पलायन बंद हो जायेगा तथा शहरों से भीड़ छटने लगेगी। इससे प्रदूषण के कम होने में सहायता मिलेगी। गांवों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर शुरू करने से ईंधन की कमी की भी इति हो जायेगी। आलोचकों का मत है कि यदि सरकार सही मायने में बेरोजगारी हटाकर गरीबी मिटाने के लिए इतनी चिंतित है तो वह सभी वयस्कों को रोजगार देने का प्रावधान संविधान में क्यों नहीं करती? इससे बेरोजगारी के टंटे तथा बेरोजगारों की बद्दुआओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जायेगी। इसके जवाब में कहा गया है कि नई पंचायत प्रणाली तथा नई नगरपालिका व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए पिछले चार वर्षों के लम्बे प्रयासों तथा जन-जन के बीच जाकर उनसे बातचीत करने तथा उनकी नब्ज पर उंगली रखकर उनके दुखदर्दों का रूबरु जायजा लेने का परिणाम है। जन साधारण की क्या कठिनाइयां हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, वे क्या सोचते हैं, आदि बातें जानने का सब से सरल सुगम तरीका लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करना है। पहले भी तो राजा-महाराजा भेस बदल कर सीधे लोगों के बीच अथवा उनकी बस्तियों में जाया करते थे। अब मिलने का तरीका भले ही कुछ बदल गया हो, पर मिलने का सिलसिला तो चलता रहेगा। रही बात प्रत्येक वयस्क को काम देने के लिए संविधान में संशोधन की तो नाक सामने से पकड़ी जाए या गर्दन की तरफ से, बात तो एक ही है। गांवों तथा शहरों में गरीब परिवारों में एक-एक व्यक्ति को रोजगार मिलने से मकान बनाने जैसे निर्माण के अनेक काम छोटे-छोटे धंधे शुरू करने से प्रत्येक वयस्क को रोजगार देने के लिए संविधान में प्रावधान की मांग काफी हद तक पूरी हो जायेगी। वैसे भी पांव अपनी चादर के हिसाब से ही फैलाये जाने चाहिए। लेकिन इस दिशा में राज्यों का अब तक का प्रयास कोई विशेष आह्लादकारी और संतोषजनक नहीं रहा है। साधन जुटाने में राज्य प्रायः पिछड़े और पीछे रहे हैं। इसलिए अपने साधनों की चौहदी के भीतर केंद्र ने जो यह कदम उठाया है, वह श्रेयस्कर है और मुरझाई बेरंग जिंदगी में जिंदा दिली लाने की

शुरुआत है। हां, सरकार को यह देखना होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में जो कमियां देखने में आई हैं वे दोहराई न जाएं, दूसरे न्यूनतम मजदूरी की सीमा निर्धारित होने के बाद यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे कम मजदूरी किसी श्रमिक को नहीं मिलेगी। साथ ही रोजगार पाने वाले और बेरोजगार रह जाने वाले व्यक्तियों में टकराव और गुटबाजी से बचाव के उपाय करने होंगे। इस तरफ गांव पंचायतों को विशेष ध्यान देना होगा तथा भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिए बिना बारी-बारी से सभी निर्धनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इसीलिए कहा गया है कि इस वर्ष जवाहर रोजगार योजना पर सवा 26 अरब की राशि खर्च करने का उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के काम में दीर्घकालीन परिवर्तन लाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्धनों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किये जायेंगे। दूसरे इस सारे कार्यक्रम को चलाने, लागू करने तथा वित्तीय प्रबंध की देखभाल करने में ग्राम पंचायतों की निर्णायक भूमिका होगी। इस तरह सत्ता और निर्णय लेने के अधिकार का विकेंद्रीकरण निचले स्तर तक हो जायेगा। इस सारे कार्यक्रम पर सही-सही काम हो रहा है या नहीं इस पर केंद्र में ग्रामीण विकास विभाग बराबर नजर रखे हुए है। यही कारण है कि देश भर में गत अगस्त के अंत तक साधनों के उपयोग और रोजगार के अवसर जुटाने के लक्ष्यों की प्राप्ति में संतोषजनक प्रगति हुई। साधनों के उपयोग में बिहार का पहला और तमिलनाडु का दूसरा स्थान रहा। केंद्र ने इसें कार्यक्रम की प्रगति का मौके पर अध्ययन करने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी राज्यों में भेजे हैं। यह बात निश्चित है कि अगर जवाहर रोजगार योजना पर ईमानदारी, लगन और निष्पक्षता से अमल हुआ तो यह पुरानी या नई कोई भी दवा न रहकर जीवनदायी अमृत बन जायेगी। यह अमृत, निष्प्राण-से गांवों में एक नया जीवन, नई चेतना और नई शक्ति ला देगा।

268, सत्यनिकेतन,
मोतीबाग, नानकपुर,
नई दिल्ली-21

जवाहर रोजगार योजना में अग्रणी ग्राम-जगत

डी. एस. रावत

उत्तर प्रदेश में बदायूं जनपद का गांव है जगत। इसी के नाम से वहां के विकास खण्ड का नाम जगत पड़ा है। एक खस्ता हालत में संपर्क मार्ग से जुड़ा यह अंतरांल का गांव ऊपर से देखने पर पिछड़ा-सा लगता है। परन्तु जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में यहां की ग्राम सभा ने जिस तेजी और उत्साह का परिचय दिया है, उसका कोई दूसरा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिला।

लगभग 6000 आबादी का यह गांव विकास खण्ड मुख्यालय से जुड़ा है। इसे जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 23,875 रुपये की पहली किस्त अवमुक्त की गई थी। जगत में अनुसूचित जातियों के मौहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले 300 मीटर लम्बे मार्ग पर खड़ंजा बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। गांव की प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में, ग्राम सभा के रामलीला मैदान में तथा तालाबों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है। सौन्दर्यीकरण के लिए अशोक के पौधों का रोपण किया जा चुका है। तालाबों के किनारे शीशम तथा कदम्ब के पेड़ लगा रहे हैं। फलदार पेड़ों में आम, नींबू तथा करौंदे के पौधे भी ग्राम सभा की भूमि पर लग रहे हैं। इस प्रकार शीघ्र विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1500 पौधे लग जाएंगे। अभी तक 500 व्यक्तियों को चार-चार दिन का रोजगार सुलभ किया जा चुका है।

ग्राम सभा की आय के स्रोत के रूप में योजना के अन्तर्गत गांव के पांच तालाबों में मछलीपालन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। 10 वर्ष के लिए इन्हें लीज पर देकर ग्राम सभा को 1,66,500 रुपये की रिकार्ड आय हुई है। कहते हैं यह जिले में पहली ग्राम सभा है जिसे अकेले मछलीपालन से ही इतनी आय हुई।

उत्साही ग्राम प्रधान श्री कैलाश नारायण शर्मा का कहना है कि खण्ड विकास अधिकारी के मार्गदर्शन और ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी से ही वह इतनी तेजी से योजना पर अमल कर सके। उनकी निश्चित राय है कि जवाहर रोजगार योजना से ग्रामीण बेरोजगारी तो दूर होगी ही, साथ ही सभी गांवों को विकास के समान अवसर भी मिलेंगे। वे योजना की दूसरी किस्त जारी किए जाने पर वे गांव के बाजार में कुछ दुकानों का निर्माण करना चाहते हैं। इससे लोगों को सुविधा मिलने के साथ ही ग्राम सभा की आय भी बढ़ जाएगी। □

जवाहर रोजगार योजना

इन्दु

भारत में स्वाधीनता के पश्चात विकास कार्यक्रमों द्वारा भारतीय जनता के स्तर को ऊंचा उठाने के अनेक प्रयास किए गए हैं तथा कुछ हद तक इन प्रयासों ने सफलता भी प्राप्त की है। परन्तु भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या ने इस विकास को एक सीमा तक सीमित कर रखा है। घनी आबादी के फलस्वरूप बहुत कोशिशों के बाद भी बेरोजगारी तथा अल्पबेरोजगारी बढ़ती जा रही है। विशेष उल्लेखनीय ग्रामीण बेरोजगारी है। पिछले चालीस वर्षों में आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण बेरोजगारी तथा अल्पबेरोजगारी जिससे ग्रामीण जनसंख्या के निचले वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, गांवों में गरीबी बढ़ाने का मुख्य कारण रही है।

ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए प्रारंभ से ही अनेक प्रयास किए गए हैं तथा विभिन्न नीतियां अपनाई गई हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण निर्धनता को दूर करना एक मुख्य उद्देश्य था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1980 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' शुरू किया गया था। 1981 में इसका स्थान 'काम के बदले अनाज' ने लिया। इसके पश्चात 15 अगस्त 1983 को 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम' प्रारंभ किया गया। इसमें भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न और उत्पादन पर जोर दिया गया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना था।

अत्यधिक निर्धनता और बेरोजगारी वाले पिछड़े जिलों में गहन रोजगार के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री ने 1989-90 के बजट में एक नई योजना 'जवाहर रोजगार योजना' की घोषणा की जिसे 120 जिलों में कार्यान्वित किया जाना था। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसका उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर-प्रदान कराना था।

'ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' को अधिक सफल बनाने के लिए और उसका अधिकतम लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उपरोक्त तीनों योजनाओं को मिलाकर एक नया कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम है 'जवाहर रोजगार योजना'। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात अपने प्रधानमंत्री काल में ग्रामीण जनता के उत्थान के तथा गांवों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के अनेक प्रयत्न किए। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में जवाहर रोजगार योजना को शुरू करके भारत सरकार ने प्रथम प्रधानमंत्री के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार पुरुष तथा महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभ योजना का सृजन किया जाएगा। रोजगार के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रति विशेष सुरक्षा होगी। 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। खाना बदोशों के लिए विशेष समन्वित परियोजना तैयार की जाएगी। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत गांव के लोगों को पूरक रोजगार मिलेगा तथा ग्रामीणों के जीवन का बहुमुखी विकास होगा।

छोटे और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसान जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज हैं उनकी निजी भूमि का विकास जवाहर रोजगार योजना की निधियों से किया जाएगा। भूमि को समतल करना, जल निकासी हेतु नालों का निर्माण करना, खेत की नालियां बनानी भूमि विकास कार्यों के अन्तर्गत कार्यान्वयन किए जाएंगे। 'जवाहर रोजगार योजना' के अन्तर्गत वे ही भूखंड लिए जाएंगे जिनमें कम से कम 10 किसान हों, कम से कम 50 प्रतिशत छोटे तथा सीमान्त किसान हों।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों में निम्न कार्य

आने हैं जैसे—इनके लिए घर बनाने का काम, आबंटित भूमि का विकास, उनकी जमीन पर सामाजिक वानिकी का काम, पीने के पानी के कुएं तथा लघु सिंचाई और सामुदायिक कुएं खोदने का काम, हरिजन बस्ती से मुख्य सड़क तक सम्पर्क सड़क तथा फुटपाथ के निर्माण का काम, हरिजन चौपाल के निर्माण का काम, हरिजन बस्ती में शौचालय बनाने का काम। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी काम शुरू किया जा सकता है जिससे गांव में टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्ति का निर्माण हो।

सामाजिक वानिकी कार्यों के कार्यान्वयन में मुख्य उद्देश्य ये होने चाहिए कि इन कार्यों से ग्रामीण समुदायों को और विशेष तौर से ग्रामीण गरीबों को लाभ मिल सके। वनों के लगातार कटते रहने से लकड़ी महंगी होती जा रही है। पेड़ों से फल-फूल तो मिलते ही हैं बल्कि भूमि का कटाव भी रुकता है। सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जिनसे फल, चारा, ईंधन और इमारती लकड़ी मिल सके। सामाजिक वानिकी के कार्य सरकारी और सामुदायिक भूमि और सड़कों के दोनों ओर किए जा सकते हैं।

विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों को अपने खेतों में अथवा घरों के पिछवाड़े नर्सरी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि नर्सरी तैयार करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक हो तो यह प्रशिक्षण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा दिलाया जा सकता है।

वृक्ष पट्टा योजना के लिए ग्रामीण गरीबों को जिला अधिकारियों द्वारा परमिट दिए जाते हैं। इसमें 30 प्रतिशत परमिट महिलाओं को देने की योजना है। वृक्ष पट्टा योजना में सामाजिक वानिकी का सीधा लाभ ग्रामीण गरीबों को दिया जा सकता है जिसको परमिट दिया जाता है वह अपनी मर्जी से पेड़ों की किस्म तथा संख्या का चुनाव करता है। इस पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता तथा पेड़ लगाने के लिए दो वर्ष का समय दिया जाता है। पेड़ लगाने के सभी संसाधन मुफ्त दिए जाते हैं।

सरकारी भूमि के साथ कुछ निजी जमीनों पर भी पेड़ लगाए जा सकते हैं वे हैं अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीन, आजाद किए गए बंधुआ मजदूरों की जमीन, जिन्हें भूदान से मिली हो, बंजर हो, अतिरिक्त हो या सरकारी हो, गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के लोगों की जमीन।

संसाधनों के आबंटन का मानदण्ड

राज्यों के लिए निर्धारित धनराशि का बंटवारा उनके जिले के पिछड़ेपन के आधार पर किया जाता है। वहां की अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी की प्रतिशतता, कृषि उत्पादकता और कृषि मजदूरों की संख्या के आधार पर जिले के पिछड़ेपन को आंका जाता है।

ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर ही जिले से ग्राम पंचायतों को संसाधनों का वितरण किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को निधियों के आबंटन के उद्देश्यों के लिए 1000 से कम जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1000 माना जाएगा और जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है उन्हें 10,000 माना जाएगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि धनराशि वितरित करना

केन्द्र द्वारा जिलों को राशि दो किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त—वार्षिक आबंटन के दो तिहाई के बराबर बिना किसी पूर्व शर्त के रिलीज की जाएगी। जिन स्थानों पर काम करने का मौसम सीमित है वहां एक ही किस्त में केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाएगी। राज्य भी अपने भाग की रिलीज एक ही किस्त में करेगा।

जब केन्द्र की किस्त रिलीज हो जाएगी उसके एक महीने के भीतर ही राज्य सरकार जिलों की किस्त रिलीज करेगी। केन्द्र और राज्य का 80:20 के अनुपात में होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को राशि की प्राप्ति राज्य सरकार को धन प्राप्त होने के बाद एक महीने में होगी।

इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। खाद्यान्न समस्त संसाधनों का भाग होंगे जिन्हें केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के अनुपात में बांटा जाएगा। अनाज की दर निर्धारित नहीं की गई है वह समय-समय पर बदल भी सकती है।

संसाधनों का निर्धारण और उनका उपयोग

जिला स्तर पर कुल प्राप्त किए गए आबंटन में से 6 प्रतिशत इन्दिरा आवास योजना के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। जहां तक संभव हो प्रत्येक खंड को 'इंदिरा आवास योजना' निधि का अंश मिलना चाहिए। 5 प्रतिशत खर्च आकस्मिक कारणों पर किया जा सकता है।

वार्षिक आबंटन की अधिक से अधिक 10 प्रतिशत राशि ऐसी परिसम्पत्तियों के रखरखाव पर खर्च कर सकते हैं जो अभी तक चले आ रहे एन. आर. ई. पी. तथा आर. एल. ई. जी. पी. कार्यक्रमों द्वारा तथा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत बनाई गई हैं। जिनको अभी तक राज्य सरकार या स्थानीय संस्थाओं ने अपनी देख-रेख में नहीं लिया है।

इसके पश्चात बचे हुए साधन का उपयोग भिन्न-भिन्न क्षेत्रवार कार्यक्रमों पर किया जाएगा जैसे आर्थिक स्वरूप की

उत्पादक परिसम्पत्तियों पर, सामाजिक वानिकी कार्यों पर, दस लाख कुओं की योजना पर, सड़कों और भवनों तथा अन्य निर्माण कार्यों पर क्रमशः 35 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत खर्च किया जाएगा। इसी तरह ग्राम पंचायतों के संसाधनों का वितरण होता है।

इंदिरा आवास योजना

यह जवाहर रोजगार योजना का ही भाग है। इस योजना के अन्तर्गत उन वर्ग समूहों को लिया जाता है जो अनुसूचित जाति/जनजाति तथा आजाद किए गए बंधुआ मजदूर हैं। 'इंदिरा आवास योजना' के अन्तर्गत उनके आवास की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत मकानों का क्षेत्रफल 17-20 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। जिस क्षेत्र में मकान बनाए जाएंगे, उस क्षेत्र की जलवायु के आधार पर मकान का नक्शा तैयार होना चाहिए। मकान बनाने के लिए कोई निश्चित डिजाइन तैयार नहीं किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत तय किया गया है कि जहां तक संभव हो मकान समूह में बनाने चाहिए परन्तु यदि भूमि की कमी हो या लाभार्थियों के भूखण्ड बिखरे हुए हों, वहां आवास अलग-अलग भी बनाए जा सकते हैं। इन मकानों में रसोई, धुआं रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय की सुविधा होनी चाहिए।

इस आवासीय योजना के अन्तर्गत मकानों की अनुमानित लागत निश्चित की गई है। मकान के निर्माण पर 6,000 रुपये खर्च होंगे, स्वच्छ शौचालय तथा धुआं रहित चूल्हें पर 1200 रुपये खर्च होंगे तथा सामान्य सुविधाओं और आधारभूत ढांचे की लागत पर 3000 रुपये खर्च होंगे। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में मकानों की लागत में 1800 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाती है। इस प्रकार यह राशि 7800 रुपये तक पहुंच जाती है।

दस लाख कुओं की योजना

अनुसूचित जाति/जनजाति के कामों के लिए 5 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। इसी निर्धारित धनराशि में से कुओं के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। कुओं के निर्माण पर खर्च के लिए जो नियम 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक' द्वारा तय किए गए हैं उन्हीं के अनुसार खर्च किया जाएगा। यह कुएं अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए बनाए जाएंगे।

कार्यों के मानक तथा विशेषताएं

कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य टिकाऊ स्वरूप के होने चाहिए। इसमें उचित तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। सड़कों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार होना चाहिए। तकनीकी विशिष्टताएं निर्धारित करते समय अधिक से अधिक स्थानीय सामग्री को प्रयोग किए जाने का प्रयास करना चाहिए।

योजना के अन्तर्गत मजदूरी वितरण नियम

जितनी राशि ग्राम पंचायतों को दी जाती है उसमें से 50 प्रतिशत मजदूरी पर खर्च की जाएगी। राज्य सरकार को चाहिए कि वह जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार की उन श्रेणियों का पता लगाए जिनके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी नहीं की गई है। किसी क्षेत्र अथवा रोजगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से अलग करने का प्रयास नहीं होना चाहिए।

कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सुविधाओं के लिए मजदूरी में से कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये सुविधाएं हैं—पीने का पानी उपलब्ध कराना, आराम करने के लिए शैड, मजदूर महिलाओं के बच्चों के लिए बालगृह।

कार्यों की रूप-रेखा एवं उनका कार्यान्वयन

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पूर्व अपनी वार्षिक योजना बना लेनी चाहिए। नई योजना में नए कार्यों को शुरू करने की अपेक्षा अधूरे कामों को पूरा करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। अपनी निधियों के लिए परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी स्वयं प्राधिकारी होती है।

ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर का चुना हुआ निकाय है और उसमें ग्राम पंचायतें मण्डल, नगर पंचायतें, परम्परागत ग्रमीण संस्थाएं जैसे ग्राम परिषदें और ग्राम विकास बोर्ड आते हैं।

ग्राम पंचायतों को यह स्मरण रखना आवश्यक है कि कुल प्राप्त राशि में से मजदूर पर कम से कम 50 प्रतिशत खर्च हो, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 15 प्रतिशत खर्च हो।

सम्पत्तियों का रख-रखाव

इस योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों को सम्बन्धित विभागों को सौंप देनी चाहिए। उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी देखभाल ग्राम पंचायत करेंगी और इस पर वह 10 प्रतिशत धनराशि खर्च कर सकती है जब भी रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत हो, तभी वर्ष के किसी भी समय में इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है।

राज्य द्वारा वार्षिक विवरण निर्धारित किए जाएंगे। इनके माध्यम से यह जिलों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यक्रम के

निष्पादन के लिए ग्राम पंचायतों/मण्डलों से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा इकट्ठी रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

इस योजना में स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है। ग्रामीण विकास हेतु या परिसम्पत्तियों के टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए या गैर मजदूरी खर्च को पूरा करने के लिए दान को भी स्वीकार किया जा सकता है। जिले के लिए विभिन्न क्षेत्रवार कार्यों के लिए यह राशि स्पष्ट रूप से अतिरिक्त होगी। खाद्यान्नों की खाली बोरियों का सही हिसाब-किताब रखा जाएगा। उनकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि जवाहर रोजगार योजना खातों में जमा की जाएगी।

राज्य योजना के कार्यान्वयन का जो मूल्यांकन कराएगा उसके अध्ययन की प्रति केन्द्र को भेजी जाएगी। राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समय-समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। यह मूल्यांकन प्रतिष्ठित संस्थाओं और संगठनों द्वारा कराया जा सकता है।

इस प्रकार 'जवाहर रोजगार योजना' को जानने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने से उन्हें पूरक रोजगार मिलेगा। उनकी आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर ऊंचा होगा। इस योजना को इस तरह तैयार किया गया है कि इससे गरीबों को प्रत्यक्ष और निरन्तर फायदे हों। इससे उनके रहन-सहन में बहुमुखी विकास होगा। परन्तु यह सुनहरा भविष्य निर्भर करता है हमारी मेहनत पर, हमारे एकजुट होकर इस योजना को सफल बनाने पर।

49-बी, जनता फ्लैट्स,
साकेत, दिल्ली-110017

लेखकों के लिए

रचना और अन्य प्रकाशनार्थ सामग्री भेजने वालों से अनुरोध है कि रचना भेजते समय वे कृपया इन बातों का ध्यान रखें:—

रचना संक्षिप्त एवं उसकी प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। इसमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी अप्रकाशित और प्रमाणित होनी चाहिए।

रचना दो प्रतियों में डबल स्पेस में टाइप की हुई हो जो सात-आठ पृष्ठों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। विषय प्रतिपादन में उपशीर्षकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

रचना के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी आमंत्रित हैं।

चलो गांव की ओर

लेख राम चौहान

सच्चा सुख-चैन पाने को,
चलो गांव की ओर।
शहरी मृग-मरीचिका के पीछे,
व्यर्थ है दौड़ लगाना।
राष्ट्र-हित आवश्यक है,
गांवों को हमें जगाना।।
मिले गांवों की चौपालों में,
प्राकृतिक सुख की हिलोर।
चलो गांव.....।

कोई नहीं प्रदूषण का खतरा,
नहीं शुद्ध वायु का अभाव।
जल से भरे पड़े हैं यहां,
कुएं, पोखर, 'औ' तालाब।।
कण-कण में शान्ति साम्राज्य,
करे प्राकृति आनन्द विभोर।
चलो गांव.....।

श्रम-विमुखता नहीं, यहां पर,
खेत-खलिहानों में रत है साधक।
खून-पसीना बहाएं माटी में,
ईश के ये सच्चे आराधक।।
लोक-धुने मन बहलाएं,
हर्षित करे नित नई भोर।
चलो गांव.....।।

ग्राम व पोस्ट बरोरी
वाया कुनिहार-173207
जिला सोलन (हि. प्र.)

ग्रामीण विद्युतीकरण

अरविन्द कुमार जैन

भारतवर्ष को गांवों का देश कहा जाता है। देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी के शब्दों में "वास्तविक भारत गांवों में बसा है"। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व विकास के अभाव में ग्रामीणजनों को अनेक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया गया। गांवों में रहने वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गईं। किसानों को कृषि के आधुनिक तरीके सिखलाए गए। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कृषि में यंत्रीकरण की क्रांति आई। इसके अतिरिक्त विभिन्न सहायक उद्योगों के माध्यम से ग्रामवासियों को रोजगार देने के प्रयास किए गए।

गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा कृषि यंत्रीकरण को तेज गति से लागू करने के लिए विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। निगम ने अपनी स्थापना के समय से ही सम्पूर्ण भारत के गांवों में विद्युत पहुंचाने के प्रयास तीव्रगति से प्रारंभ कर वर्तमान में विभिन्न राज्यों के विद्युत मंडलों के सहयोग से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चल रहा है।

1971 की जनगणना के आधार पर देश के 25 राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में कुल 5,76,126 गांव हैं जिसमें से जनवरी 88 तक 74 प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। वर्ष 1951 में मात्र 3061 ग्राम तथा 21008 पम्पों को विद्युतीकृत किया गया था। इनकी संख्या जनवरी 88 में बढ़कर 4,26,323 ग्राम एवं 70.46 लाख पम्प हो गई है। इस प्रकार अब केवल 26 प्रतिशत ग्राम ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

1951 से जनवरी 88 तक विद्युतीकृत ग्रामों एवं पम्पों की संख्या निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका-1

देश में 1951 से 31-1-88 तक कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या

वर्ष	विद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकृत पम्पों की संख्या
1951	3061	21008
1956	7294	56058
1961	21754	198904
1966	45148	512756
1969	73739	1088804
1974	156729	2426133
1978	216863	3299901
1980	249799	3965828
1985	370332	5708563
1986	390294	6151975
1987	414895	6656541
31-1-88	426323	7046168

वर्ष 1987-88 में 21,377 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से जनवरी 1988 तक 11,428 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

देश के 25 राज्यों में से तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा केरल राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण शत-प्रतिशत हो चुका है। देश के 5 राज्यों में 95 से 99 प्रतिशत, 4 राज्यों में 75 से 94 प्रतिशत, 7 राज्यों में 50 से 74 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50 प्रतिशत से कम विद्युतीकरण हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गांव 1,12,561 हैं जिसमें से 65 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। सबसे कम गांव 229 मिजोरम में हैं जहां पर 31 प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है। मिजोरम एवं अरुणाचल यही दो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सबसे कम 31 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ-साथ गांवों में कृषि करने वाले कृषकों के सिंचाई पम्पों को विद्युतीकृत करने का कार्य भी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1987-88 में 3,98,120 पम्पों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 88 तक 3,89,625 पम्पों को विद्युतीकृत किया जा चुका है अर्थात् 97 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। जनवरी 88 तक कुल 70.46 लाख पम्पों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। देश में सर्वाधिक 12 लाख पम्पों को महाराष्ट्र में विद्युतीकृत किया गया जबकि 4 राज्यों में स्थिति निम्न रही।

तालिका-2

विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

ग्रामीण विद्युतीकरण एवं विद्युतीकृत सिंचाई पम्पों की स्थिति

राज्य	कुल ग्राम 1971 की जनगणना पर आधारित	विद्युतीकृत ग्राम 31-1-88 तक	कुल ग्रामों से विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत	विद्युतीकृत पम्प 31-1-88 तक
उत्तर प्रदेश	1,12,561	73,492	65	5,87,772
मध्य प्रदेश	70,883	49,991	71	5,97,218
बिहार	67,566	39,466	58	2,23,103
महाराष्ट्र	35,778	37,444*	95	12,09,160
उड़ीसा	46,992	27,161	58	36,377
कर्नाटक	26,826	26,363	98	5,75,385
आंध्र प्रदेश	27,221	25,085	92	8,90,563
पश्चिम बंगाल	38,074	22,722	60	56,758
राजस्थान	33,305	22,595*	65	3,04,785
गुजरात	18,275	18,029	99	3,63,074
हिमाचल प्रदेश	16,919	16,718	99	2,847
असम	21,995	16,620	76	3,075
तमिलनाडु	15,735	15,731	100	11,59,720
पंजाब	12,188	12,342*	100	5,08,42
हरियाणा	6,731	6,745	100	3,22,760
जम्मू कश्मीर	6,503	5,976	92	1,554
त्रिपुरा	4,727	2,292	49	1,167
मेघालय	4,583	1,503	33	65
केरल	1,268	1,268	100	1,70,403
अरुणाचल प्रदेश	2,973	1,022*	31	निरंक
नगालैंड	960	1,021*	92	निरंक
मणिपुर	1,449	840	43	45
गोवा	—	374*	97	3,083
सिक्किम	405	288	71	निरंक
मिजोरम	229	227*	31	निरंक
केन्द्र शासित क्षेत्र	1,483	1,008	90	29,210
कुल	5,76,126	4,26,323	74%	70,46,168

* 1981 की जनगणना पर आधारित।

आदिवासी गांव एवं हरिजन बस्तियों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना भी निगम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सितम्बर 1987 तक 1.10 लाख आदिवासी गांवों में से 50,593 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है तथा 1,88,593 हरिजन बस्तियों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के द्वारा इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों के विद्युत मंडलों को राशि प्रदान की जाती है। निगम द्वारा 31 मार्च 87 तक विभिन्न राज्यों की 13,422 योजनाओं को स्वीकृत किया गया जिनके लिए 403 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृत राशि में से 1987 में 273 करोड़ रुपये व्यय किए गए। निगम द्वारा 1987 में सर्वाधिक 61,788 लाख रुपयों की स्वीकृति उत्तर प्रदेश को दी गई जिसमें से 30,349 लाख रुपये स्वीकृत किए जिसमें से 1100 लाख रुपये वास्तविक व्यय किए गए। विभिन्न राज्यों की 31 मार्च 87 तक स्वीकृत योजनाएं, स्वीकृत राशि एवं वास्तविक व्यय की राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राज्यों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की स्वीकृत योजनाएं, स्वीकृत राशि एवं वास्तविक व्यय 31 मार्च 87 तक

	स्वीकृत योजनाएं (संख्या)		स्वीकृत राशि 1987 (लाख रुपये में)	वास्तविक व्यय 1987
आंध्र प्रदेश	1,410		32,862	22,890
असम	265		17,442	12,476
बिहार	985		28,576	21,180
गुजरात	620	(1)	16,161	11,933
हरियाणा	407		8,901	7,304
हिमाचल प्रदेश	216		11,522	7,266
जम्मू कश्मीर	175		7,099	4,727
कर्नाटक	705		14,412	11,832
केरल	277		7,278	4,823
मध्य प्रदेश	1,995	(2)	60,024	37,090
महाराष्ट्र	1,082		26,015	19,688
मणिपुर	27		1,613	909
मेघालय	62		3,045	2,450
नगालैंड	31		1,923	1,726
उड़ीसा	631		20,683	14,501
पंजाब	590		17,514	13,695
राजस्थान	1,012		24,943	17,923
सिक्किम	25		1,404	1,100
तमिलनाडु	773		15,493	11,321
त्रिपुरा	74		3,054	1,913
उत्तर प्रदेश	1,476		61,788	30,349
पश्चिम बंगाल	584		21,573	10,248
कुल	13,422		4,03,325	2,73,344

इस प्रकार देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अत्यंत तीव्रगति से चल रहा है और संभवतः 1992-93 तक देश के शत-प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत किया जा सकेगा।

सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
सर हरीसिंह गौर महाविद्यालय,
सागर (म. प्र.) 470-002

मुस्कान

श्रीमती सुधा मल्होत्रा

रामधन जमींदार का घर आज दुल्हन की तरह सजा था। वैसे उनके गांव में बिजली अभी कोसों दूर थी लेकिन उन्होंने खास आदमी भेजकर केरोसीन के हाण्डे शहर से मंगवा लिए थे।

"अरे! सारी जिन्दगी तो दीए की रोशनी में बिता दी अब दो-चार दिन हाण्डे की रोशनी में कौन-से तुम चौंधिया जाओगे जमींदार साहब।" "और फिर हमारे छोटे मालिक की शादी कौन-सी बार-बार होवेगी, तनिक—रूप्पिया-पैसा बत्ता लग जावेगा तो यहां किसका घाटा पड़े है।"

रामेसर और चन्दू की बात रामधन के दिमाग में पूरी तरह बैठ गई थी और उन्होंने चटपट शहर से हाण्डे लाने का काम सौंप दिया था गोरधन के ही दोस्त करीम को।

बच्चों ने इतनी रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी इसलिए देर रात तक रामधन की हवेली के बाहर बालू मिट्टी में गांव भर के बच्चे उछल-कूद करने लगे। अंदर-बाहर का शोरगुल ऊपर से शादी-ब्याह का इतना काम और उनकी अकेली जान। न जाने कब सोचते-सोचते उनकी आंख लग गई। गोरधन की मां ने सुबह उसे यह कहते हुए उठाया—"जिन्दगी सारी सोते-सोते ही तो काटी है आज भी सोते रहोगे तो काम कौन करेगा। मेरा तो न बाप रहा न भाई। जो आज तुम्हारा हाथ बंटाता। शहर की बहू लानी कोई हंसी-खेल तो नहीं।"

गोरधन की बारात लौटी ही थी कि पूरा गांव उमड़ पड़ा। रामधन की हवेली के बाहर-भीतर औरतों का जमघट लग गया। "शहर की बहू लाया है हमारा बिटुआ" कहती हुई बहू का घूंघट पलट-पलट कर दिखाने लगी काकी।

"दिल खुस हो गया गोरधन की बहू देखकर। न लटका न झटका। बिल्कुल ऐसी है जैसे गांव की छोरी।" श्यामा की मां ने कहा तो राधे मौसी ने दबी जुबान में कहा—"देखती रहियो शामा की मां! शहरी लड़की है। अभी तो भोली दिखती है बाद में रंग बदलेगी गिरगिट जैसा।"

गोरधन की मां गांव वालों की बधाइयां समेट नहीं पा रही थी। इकलौते बेटे की बहू इतनी पढ़ी-लिखी और गुणवान मिलेगी उसने सोचा भी नहीं था। गोरधन की छोटी बहिन गोमती की खुशी की तो जैसे सीमा ही नहीं थी। वह अपनी भाभी की बलैंया लेती। कोई पूछे या न पूछे वह अपने आप ही बता देती थी—"प्रेमा नाम है मेरी भाभी का।"

गोमती अपनी जिद पर अड़ी हुई थी—आज खाना खाएगी तो भाभी के हाथ का नहीं तो नहीं खाएगी। मां ने उसे समझाया—"देख गोमा जिद नहीं करते। बहू नई-नई है उसे कुछ दिन आराम कर लेने दे। फिर वही तो बनाएगी खाना। आखिर मां के घर तो बनाती आई है अब तक।" "मां के यहां बनाती होगी ये।" ठेंगा दिखाते हुए गोमती बिफर-सी पड़ी—"हमारे यहां तो नहीं बनाया। यूं कहो न उसे आता ही नहीं कुछ बनाना।"

प्रेमा से रहा नहीं गया। वह चौके में जा बैठी। गोमती की तो अब बांछे खिल गईं। वह दौड़ कर बाड़े में से सरकंडे और थेपड़ियां बीन लाई। थेपड़ियां तोड़ते हुए प्रेमा के हाथ कांपने लगे। हथेली में दो-तीन जगह कांटे गड़ जाने से खून भी रिसने लगा।

गोमती ने तुरंत कहा—"मैं न कहती थी भाभी को खाना बनाना आता ही नहीं। मां देखो तो दो थेपड़ी नहीं तोड़ी कि भाभी के हाथों में छाले पड़ गए।" प्रेमा ने संयत स्वर में कहा—"ननदजी मैंने कौन-से चूल्हे फूंके हैं? हमारे यहां तो कभी चूल्हा जला ही नहीं।"

"हमें बुद्धू न बनाओ भाभी। चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा? क्या तुम्हारे घर खाना नहीं बनता।" गोमती ने रूआसां होते हुए कहा तो प्रेमा ने उसे समझाया—"तुम मेरी बात नहीं समझी गोमती। हमारे घर खाना पकाने के और कई साधन हैं। पहले स्टोव पर खाना बनता था पर जब से गैस का सिलेंडर आया है उसी पर सब कुछ बनाते हैं। चूल्हा फूंकने की जरूरत ही नहीं पड़ती।"

पर प्रेमा की दलीलें गोमती के सामने एक न चलीं और उसे उपलों पर ही खाना बनाना पड़ा। रात तक चूल्हा फूंकते—फूंकते प्रेमा की आंखें लाल हो गईं और उनसे पानी पड़ने लगा।

गोरधन ने जब देखा तो मारे हंसी के वह बेहाल हो गया—"एक दिन में ही यह हाल..." रामधन ने समझाया—"कोई बात नहीं। धीरे-धीरे सीख जाएगी। शहर में जनमी पली है शहर के ही तो तौर-तरीके जानेगी।" महीने भर से रामधन देख रहा था। अधिकतर चौके में गोरधन की मां ही पचती। या कभी-कभी गोमती भी बैठ जाती। बहू को तो दो-चार बार से अधिक नहीं देखा था चौके में। रामधन ने कहा—"छोड़ो भी गोरधन की मां। बहुत कर लिया चौका-पानी तुमने। अब बहू को संभलवा दो यह सब।"

"क्या संभलवा दूं उसे? चूल्हे के पास तो वह फटकती ही नहीं। जिस दिन गोमती की जिद से बैठ जाए तो समझो चार दिन तक उसकी आंख से पानी टपकना ही बंद नहीं होता।"

"तो फिर ऐसे काम कब तक चलेगा?" रामधन ने कहा तो वह बोली—"राम जाने कब तक चलेगा। शहर की बहू जो लाए हो...मैं न कहती थी शहर की नहीं खट सकती अपने गांव में...पर तुमने तो तब मेरी एक न मानी।"

रामधन पेड़ के नीचे खटिया डाले बैठा था। उधर से सरपंचजी निकले तो बोले—"कहो रामधन भाई! कैसे उदास-उदास बैठे हो?"

"काहे की उदासी सरपंचजी। बस यूं ही घर-गिरस्ती की बातें सोच रहा हूं। लो हुक्का पियो।" रामधन ने कहा।

गुड़गुड़ाकर हुक्के की नली फेरते हुए सरपंचजी बोले—"क्यों राजी खुसी तो है न सब? गोरधन की गाड़ी तो चल रही है पटरी पर?"

"कहां सरपंचजी यूं समझो कि पटरी ही गाड़ी पर है।" रामधन ने मुंह लटकाते हुए कहा।

"यह बात क्यों कह रहे हो रामधन। तुम्हीं तो शहर की बहू पसंद कर लाए थे उसके लिए।" सरपंचजी ने कहा तो रामधन हताश होते हुए बोला—"बस यही तो गलती कर दी ना। शहर की लड़की गांव में कैसे खप सकती है? और तो और उससे चूल्हा तक नहीं जलता। थेपड़ी के धुएं में उसकी आंख तक नहीं खुलती। बताओ कैसे काम चलेगा? यहां तो घर-घर में थेपड़ी का चूल्हा जलता है। कहां से लाकर दूं उसको केरोसीन के तेल का स्टोव और गैस का चूल्हा?" रामधन जैसे परेशान हो उठा।

"बस!...इतनी-सी बात के पीछे परेशान हो रहे हो? चलो उठो। बी.डी.ओ. साहब के पास चलते हैं उनके पास गोबर गैस प्लांट की नई योजना आई है।" सरपंचजी ने कहा।

"गोबर गैस क्या होता है सरपंचजी?" रामधन ने आश्चर्य से पूछा तो सरपंचजी ने बताया कि पशुओं के गोबर को एक पक्के कुएं में इकट्ठा कर लिया जाता है तो उससे गैस बनती है जो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में काम में आती है। इसमें न लकड़ी जलानी पड़ती है और न थेपड़ी। सीधे गैस खोलो और बिना धुएं की आग पर रोटी पकाओ, पानी गरम करो।"

बी.डी.ओ. साहब के आदेश से रामधन के घर में गोबर गैस का प्लांट लग गया। इसके लिए उनको सरकारी सहायता भी मिली। पहले दिन कारीगर ने आकर समझाया—"टंकी की घुंडी घुमाते ही गैस पाइप में से चूल्हे में आने लगेगी और चूल्हे पर दियासिलाई रखते ही आग जलने लगेगी। और इसी गैस को मेन्टल वाले हाण्डे में जोड़कर रात को रोशनी भी की जा सकती है। बदले में आपको प्रतिदिन प्लांट में सिर्फ दो कड़ाही गोबर डालना होगा।"

इस पर रामधन बोला—"कारीगरजी ये बातें तो हमारी बहू को ही समझाओ जिसको खाना बनाना है चौके में।"

प्रेमा ने ज्यों ही गैस खोलकर दियासिलाई जलाई तो नीले रंग की लपटें निकलने लगीं। गोमती तो मारे खुशी के तालियां बजाने लगी। प्रेमा ने मायके से मिले स्टील के बर्तनों के सन्दूक में से टोपिया निकाला और गैस पर रखते हुए बोली—"देख गोमती इस पर तो बर्तन काले भी नहीं होते।"

दूसरी तरफ बैठे हुए गोरधन ने नजरों ही नजरों में प्रेमा से सवाल किया "अब तो धुंआ नहीं लगता आंखों में?" और प्रेमा ने भी नजरों की भाषा में ही जवाब दिया—"नहीं...बिल्कुल नहीं।" और दोनों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई।

कुछ कदम दूर खड़े गोरधन की मां रामधन को देखकर यूं मुस्कुरा रही थी। मानो उन्होंने उसे मुसीबत से बचा लिया हो।

वीरी चेतन
राजविलास रथखाना, बीकानेर

कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 1989

जवाहर रोजगार योजना : एक विश्लेषण

मधुकर उपाध्याय

गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करके निर्धनता दूर करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए कार्यक्रम 'जवाहर रोजगार योजना' पर इस समय देश भर में अमल चल रहा है। इस योजना की नीयत पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन इस पर अमल के दौरान हुए अनुभवों तथा उसके स्वरूप पर चर्चा निहायत जरूरी है ताकि योजना की खामियां दूर करके उसे और प्रभावी बनाया जा सके। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले चार दशक में आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी की समस्या की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी फैली है और इसका निर्धनतम वर्ग पर प्रतिकूल असर पड़ा है। छठी योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया और 1980 में इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसे छठी पंचवर्षीय योजना का विधिवत हिस्सा बनाने के बाद काम के बदले अनाज कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। बाद में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य इसके तहत आने वाले परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना था। 1989-90 के बजट में पिछड़े जिलों में गहन रोजगार के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई। इसे 120 जिलों में 500 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित किया जाना था और इसका नाम जवाहर रोजगार योजना रखा गया था। अलग-अलग कार्यक्रमों पर अमल और निगरानी की दिक्कतों को देखते हुए सबको मिलाकर एक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बना दिया गया और उसे जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया गया। इस पर आने वाला खर्च 80 प्रतिशत केन्द्र को तथा 20 प्रतिशत राज्यों को उठाना है।

संसाधन

जवाहर रोजगार योजना संसाधनों के इस्तेमाल की व्यवस्था के लिहाज से अपनी पूर्ववर्ती योजनाओं—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम से बेहतर है। पूर्ववर्ती योजनाओं में आबंटित धनराशि निर्धारित क्षेत्र में विकास पर खर्च की जानी थी जबकि अब इस खामी को दूर कर दिया गया है। इसके वजह से बहुत से ब्लाक अपने को उपेक्षित महसूस करते थे। हालांकि आलोचना का यह मुद्दा अब खत्म हो गया है। लेकिन अब चर्चा इस बात पर होती है कि क्या गांवों को उपलब्ध कराई गई राशि से वास्तव में वह सभी काम किए जा सकते हैं जिनका योजना में प्रावधान किया गया है।

गांव पंचायतों को संसाधनों का आबंटन उनकी आबादी के हिसाब से किया जाता है। आबादी 1981 की जनगणना के आधार पर मानी जाती है और सौ-दौ-सौ की आबादी वाले गांवों की आबादी एक हजार मानकर राशि का आबंटन किया जाता है। देश के अधिकतर गांव—नब्बे प्रतिशत से अधिक इसी श्रेणी में आते हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो वहां एक हजार तक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें से एक चौथाई सामाजिक वानिकी पर तथा एक चौथाई सड़क, भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च के लिए हैं। पंद्रह प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लाभकारी योजनाओं पर खर्च की जानी है जबकि इतनी ही राशि प्रशासनिक और आकस्मिक खर्चों तथा पुराने कार्यों के रखरखाव के लिए रखी गई है। शेष राशि किसी भी अन्य कार्यक्रम पर खर्च की जा सकती है। योजना के लिए आबंटित राशि को किसी सरकारी या सहकारी बैंक अथवा डाकघर में जमा करना अनिवार्य है जिसे दो लोगों के हस्ताक्षर से केवल चैक द्वारा निकाला जा सकता है।

उपरोक्त विवरण से दो बातें साफ हो जाती हैं। एक यह कि उपलब्ध राशि के विभिन्न मदों में बंटवारे के बाद सामूहिक विकास कार्यों के लिए बहुत कम राशि बचती है और दूसरी यह कि हर मद में राशि का प्रावधान इतना कम है कि उससे नए काम शुरू करके उन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। चालू कार्यक्रमों को पूरा करने में आबंटन की दूसरी किस्त जारी करने के लिए रखी गई शर्तें भी एक बाधा है। इसके अंतर्गत उस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है कि पंचायत अधूरे काम पूरा करने को प्राथमिकता दे रही और दो वर्ष से शुरू किया गया कोई काम अधूरा नहीं है। हम यहां एक व्यावहारिक व महत्वपूर्ण कठिनाई की चर्चा करेंगे।

उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी नदियों-खासतौर पर घाघरा, गंगा और यमुना में मानसून के दौरान किनारों का कटाव आम

बात है जिसमें गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। कुछेक गांवों में 10-20 लोगों की मामूली आबादी बच जाती है। जवाहर रोजगार योजना के इस कड़े नियम की वजह से कई गांवों में अजीब स्थिति पैदा हो सकती है कि एक गांव पंचायत की धनराशि को किसी भी दशा में दूसरी पंचायत को नहीं दिया जा सकता। अधिकतर गांवों में खासतौर पर बलिया, बस्ती और आजमगढ़ जिले में नदियों के कटाव से प्रभावित आबादी अगल-बगल के गांवों में चली जाती है पर अधिकारी कटाव से तबाह गांव के लिए आंबंटित राशि दूसरे गांव में खर्च करने की अनुमति नहीं देते।

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना का ही भाग है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति या मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करने का प्रावधान है। इसमें मकान समूह में बनाने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि बस्तियों के लिए समान सार्वजनिक सुविधाएं दी जा सकें। इस योजना की एक विशेषता जो एक समस्या भी है यह है कि मकानों का कोई डिजाइन तय नहीं किया गया है। शर्त केवल इतनी है कि मकानों का कुर्सी क्षेत्र सत्रह से बीस वर्ग मीटर होना चाहिए। इस योजना के तहत उपलब्ध कराई गई राशि इतनी कम है कि उससे रहने योग्य एक मकान का निर्माण लगभग असंभव है। प्रत्येक मकान के लिए 7,200 रुपये रखे गए हैं जिसमें से 1200 रुपये स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हे के निर्माण पर खर्च किए जाने हैं। मकान निर्माण के लिए रखे गए 6000 रुपये में से 1500 रुपये मजदूरी के रूप में खर्च करना अनिवार्य बना दिया गया है यद्यपि मूल योजना के अनुसार कुल राशि का पचास प्रतिशत मजदूरी पर खर्च करने का नियम बनाया गया है। सारे खर्चों के बाद मकान में लगने वाली सामग्री के लिए केवल 4500 रुपये बचते हैं जो किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं। पर्वतीय तथा कुछ अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण की राशि 7,800 रुपये तक हो सकती है।

इंदिरा आवास योजना के तहत आधारभूत तथा सामान्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति मकान 3000 रुपये रखे गए हैं और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस राशि का निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कई तरह की बाधाएं हैं जिसमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनी ओर से लगाई गई रोक भी शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल प्रमुख हैं।

दस लाख कुओं की योजना

जवाहर रोजगार योजना का एक प्रमुख कार्यक्रम दस लाख कुएं बनाने की योजना है पर आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके लिए अलग से धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये कुएं योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत निधियों में से ही बनाए जाने हैं। इस राशि में अन्य विकास कार्यों के अलावा दो हरिजन आवासों का निर्माण अनिवार्य है। सीधे तौर पर देखा जाए तो यदि किसी गांव पंचायत को कुल एक लाख रुपये दे दिए जाएं तो उसमें से उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए केवल 15,000 रुपये मिल पाते हैं जबकि एक कुएं के निर्माण पर दस से बाहर हजार रुपये खर्च आता है। यदि उपलब्ध राशि कुएं बनाने में लगा दी जाए तो दो हरिजन आवास बनाने वाले को 3000 रुपये कर्ज लेना होगा तथा 4000 रुपये उसे अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। इसमें से एक हजार रुपये हरिजन कल्याण से तथा शेष तीन हजार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से मिलेंगे।

कुओं और आवास की योजना के लिए संसाधनों की खींचतान और तंगी इतनी अधिक है कि उसमें से किसी भी कार्यक्रम को संबद्ध ढंग से पूरा करना संभव नहीं लगता। दस लाख कुओं की योजना की एक और खामी यह है कि इसके तहत सभी कुएं कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और सीमान्त किसानों के खेत में बनाए जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। थोड़े से और खर्च में यदि इन कुओं को ढकने की व्यवस्था की जाती तो इन्हीं कुओं का पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे पेयजल संकट दूर करने में मदद मिलती क्योंकि छोटे गांवों में किसानों के खेत अक्सर उनकी रिहाइश से ज्यादा दूर नहीं होता।

ठेकेदारी पर पाबंदी

जवाहर रोजगार योजना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी काम ठेकेदारों से नहीं कराया जाएगा। काम पूरा करने के लिए कोई बिचौलिया या किसी मध्यस्थ एजेंसी को भी नहीं रखा जाएगा ताकि मजदूरी का पूरा लाभ श्रमिकों को मिले और ठेकेदारों या बिचौलियों को दिए जाने वाले कमीशन की वजह से लागत न बढ़े। यह निर्णय निस्संदेह स्वागत योग्य है क्योंकि छठी योजना के अनुभव बहुत अच्छे नहीं थे। उस समय ठेकेदारों ने युवा ग्राम समन्वयक, ग्राम संगठन आदि नाम रखकर काम किए थे। वर्तमान योजना में ठेकेदारी पर पूर्ण पाबन्दी से यह प्रथा रोकी नहीं जा सकी है क्योंकि अब स्वयं पंचायत के प्रधान ही ठेकेदार हो गए हैं जो चैक पर हस्ताक्षर करने वालों में से भी एक हैं।

भुगतान के बारे में एक और समस्या यह है कि योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि श्रमिक की दैनिक मजदूरी कितना काम करने पर देय मानी जाए। समुचित निगरानी के अभाव में

श्रमिक एक बार सूची में नाम दर्ज होने के बाद निश्चित हो जाते हैं। इससे काम की लागत बढ़ती जाती है।

कार्य योजना का निर्धारण

जवाहर रोजगार योजना के तहत कार्यक्रम चुनने तथा उस पर अमल की योजना बनाने का पूरा अधिकार पहली बार गांव पंचायत को सौंप दिया गया है। पंचायतों से कहा गया है कि वे अपनी बैठक में चर्चा के बाद कार्यक्रमों को अंतिम रूप दें और उसमें कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखने के साथ ही महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लाभ के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। गांव सभा को वर्ष में कम से कम दो बार कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति से अवगत कराने का भी प्रावधान है। इस व्यवस्था के जितने लाभ हैं, खामियां भी उतनी ही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि योजना कार्यों में संशोधन करने का अधिकार खंड विकास अधिकारियों तथा जिला स्तर के अन्य अधिकारियों से छीन लिया गया है। गांवों के वर्तमान ढांचे को देखते हुए यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सभी गांव प्रधान भलेमानस हैं और योजना बनाते समय वे गांव के हित के आगे अपने हित की उपेक्षा कर देंगे।

अब तक की व्यवस्था के अनुसार नब्बे फीसदी गांवों में सबसे धनी ताकतवर या प्रभावशाली व्यक्ति प्रधान बन जाता है और ज्यादातर मामलों में चाहते हुए भी उसका विरोध संभव नहीं होता। ऐसी हालत में गांव में सिर्फ वही होता है जो प्रधान चाहता है।

दूसरी मुश्किल यह है कि कार्य योजना को अहस्तक्षेपीय तथा अपरिवर्तनीय बनाकर सरकार ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अपने ही सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया है। किसी योजना से असहमत होने तथा उसमें परिवर्तन के लिए अब असंतुष्ट पक्ष को सीधा राज्य स्तर पर जाना होगा क्योंकि जिला और ब्लाक स्तर पर अधिकारी परिवर्तन की जरूरत महसूस करने पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं।

ऊपर वर्णित बातें 80 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान वाली इस योजना की आलोचना नहीं है बल्कि उसकी उन कमियों की ओर स्पष्ट इशारा करती हैं जिनकी और योजना बनाते समय ध्यान नहीं गया होगा। यह योजना एक अद्‌भुत प्रयोग है। इसमें यदि छोटे-छोटे तकनीकी संशोधन कर दिए जाएं तो जवाहर रोजगार योजना की सफलता असंदिग्ध हो जाएगी।

यूनीवार्ता, 9, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

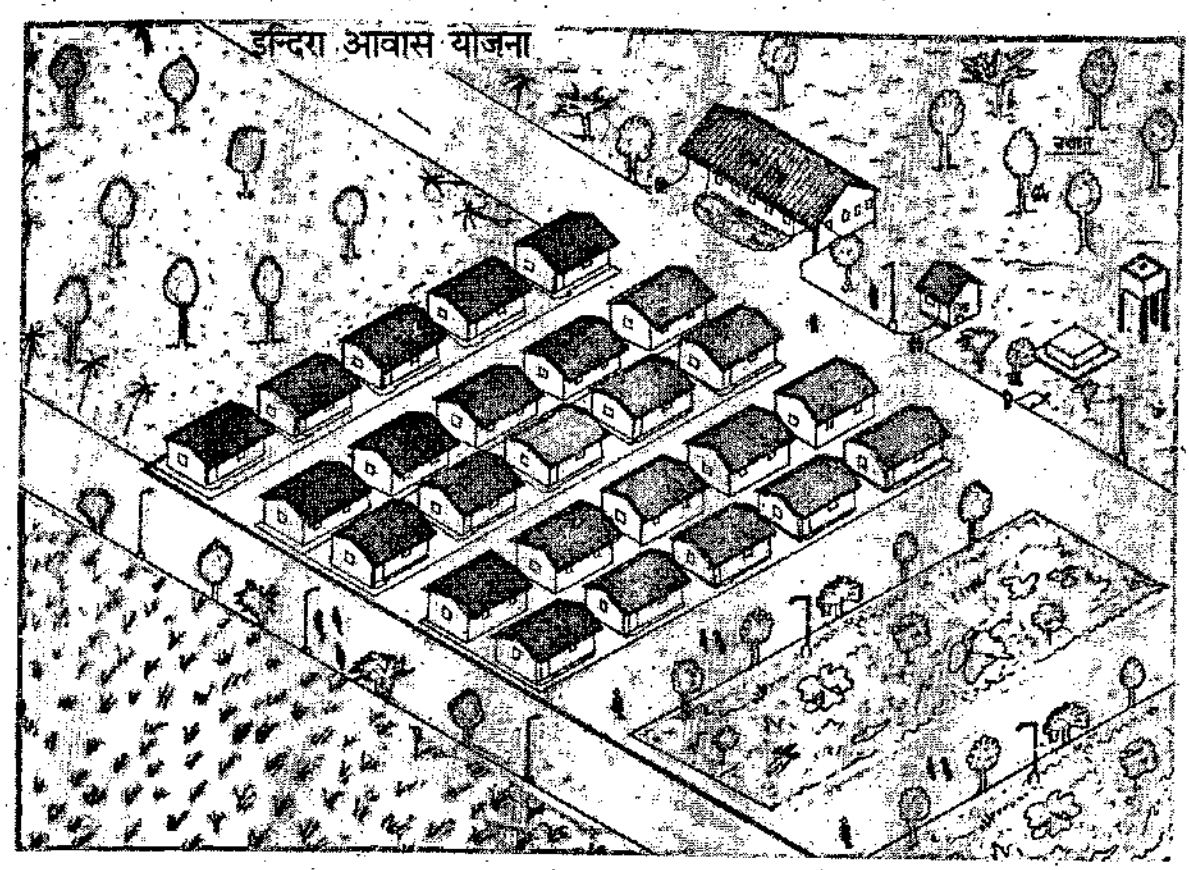

ग्रामीण जन कल्याण में बैंक साख

डा. जे. आर. गुप्ता

प्रस्तुत लेख में ग्रामीण जनता के कल्याण में वृद्धि के लिए बैंकों द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनसे सन्दर्भित बैंक संरचना, ग्रामों में बैंक साख, विस्तार साख, मूल्यांकन, ग्रामीण बचत गतिशीलता, कृषि उत्पादकता, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता तथा निर्धनता स्तर पर साख के प्रभावों एवं कठिनाइयों की विस्तृत विवेचना की गई है।

ग्रामीण जनकल्याण में बैंक साख

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण मानी जाती है क्योंकि यहां की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती रही है जैसे 1951 में 82.4 प्रतिशत तथा 1961 में 82.02 प्रतिशत, 1971 में 80.09 प्रतिशत तथा 1981 में 76.2 प्रतिशत। भारत में 575936 ग्राम एवं 2921 शहर हैं। ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर शहरी लोगों की तुलना में निम्न स्तर का है। इसका मुख्य कारण विकास के अधिकांश कार्यों का अधिक लाभ शहरी क्षेत्रों को ही प्राप्त हुआ है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात, सुरक्षा, जल-प्रबन्ध, विद्युत सुविधा, आवास, उद्योग स्थापना, बैंक साख एवं व्यापार विकास आदि। इस असन्तुलित लाभ की प्रक्रिया के कारण ग्रामीण क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है जबकि राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र से आता है।

अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के कल्याण में वृद्धि के लिए ग्रामों का चहुंमुखी एवं सर्वांगीण विकास आवश्यक है। इस कार्य के लिए देश में सामुदायिक विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, बाल एवं महिला विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक विस्तार कार्यक्रम जैसी योजनाएं देश में चलाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं में वित्त की परम आवश्यकता है जिसे केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार एवं भारतीय बैंक पूर्ण करने में लगे हुए हैं। देश में 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अक्तूबर 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोली जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र को अधिक साख मिले इसके लिए नाबार्ड बैंक की 1982 में स्थापना की गई है। रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों की नीतियों में अनेक ग्रामीण आधारित परिवर्तन किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के कल्याण में 1950 की तुलना में 1986-87 में काफी सुधार हुआ है जिसकी व्याख्या इस लेख में की गई है।

जनकल्याण की व्याख्या

सामान्य अर्थों में जनकल्याण की व्याख्या करते हुए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि कल्याण का सम्बन्ध मनुष्यों की मानसिक प्रसन्नता एवं संतुष्टि से है। मनुष्य अधिक प्रसन्न एवं संतुष्ट तभी होता है जब उसका जीवन स्तर ऊंचा हो और आय पर्याप्त मात्रा में उसे प्राप्त हो। उच्च जीवन स्तर अधिक आय और उसके समुचित वितरण से प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जनकल्याण का सम्बन्ध जीवन स्तर से लिया जाता है। जब जीवन स्तर ऊंचा होता है तब जनकल्याण अधिक होता है तथा जब जीवन स्तर निम्न होता है तब जन कल्याण निम्न माना जाता है।

जीवन स्तर का सम्बन्ध मानव समाज से लिया जाता है इसलिए जनकल्याण को समाज कल्याण भी कहा जाता है। प्रो. पीगू तथा मार्शल ने समाज की भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि को सामाजिक कल्याण माना है। भौतिक सुख आय एवं धन की मात्रा तथा वितरण पर निर्भर करते हैं। इसको आर्थिक कल्याण भी कहा जाता है। प्रो. मार्शल ने आर्थिक कल्याण के सम्बन्ध में कहा है कि राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण से कल्याण में वृद्धि सम्भव है। इसके विपरीत हिक्स एवं काल्डोर ने राष्ट्रीय साधनों के कशलतम प्रयोग को आर्थिक कल्याण बताया है।

आधुनिक विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण एवं राष्ट्रीय साधनों के कुशलतम प्रयोग दोनों को आर्थिक कल्याण में शामिल किया जाता है। इन दोनों कार्यों से सम्पूर्ण समाज के जनकल्याण में अधिक वृद्धि संभव है। प्रो. वर्गसन तथा सेम्युलसन ने आर्थिक कल्याण में इन दोनों तत्वों के साथ ही आय वितरण के ढंग, व्यक्तियों के बीच कल्याण की पारस्परिक निर्भरता, उपभोक्ता का स्वभाव एवं सरकार की नीतियों के संचालन व्यवस्था को भी शामिल किया है।

भारतीय सन्दर्भ में सामाजिक कल्याण की व्याख्या राष्ट्रीय साधनों के कुशलतम प्रयोग एवं राष्ट्रीय आय का सम्पूर्ण समाज

में न्यायोचित वितरण दोनों के आधार पर दो वर्गों में बांटकर की जा सकती है–

(1) शहरी जनकल्याण
(2) ग्रामीण जनकल्याण

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनकल्याण शहरी एवं ग्रामीण जीवन के मनुष्यों से सम्बन्धित है। 1969 के पूर्व बैंकों की साख नीति के कार्य संचालन की व्यवस्था से शहरी व्यापारी एवं उद्योगपतियों को ही लाभ मिला है। ग्रामीण क्षेत्र की ओर बैंक साख ने मुड़कर नहीं देखा है। अतः देश का असन्तुलित विकास हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र की 76 प्रतिशत जनता विकास के लाभ से वंचित रह गई है। 1969 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का तथा अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्याप्त साख प्राथमिक क्षेत्रों को दी जाए। इस उद्देश्य को पूर्ण करने में बैंकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और ग्रामीण क्षेत्र में साख के माध्यम से जनकल्याण में वृद्धि की है जिसकी व्याख्या 1969 से 1986-87 के आंकड़ों के आधार पर की गई है।

जनकल्याण में वृद्धि हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सुधार, यातायात विकास, संचार सुरक्षा एवं अस्पृश्यता निवारण, ऊंच-नीच के भेद-भाव कम करना, आय में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं के वितरण की उचित व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण, मजदूरी नियमन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, कार्यों का संचालन, पौष्टिक आहार प्रबन्ध, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, वृद्धावस्था व अन्य विपत्तियों में सहायता, उत्पादन तकनीकों में सुधार, बैंक शाखा विस्तार, मशीन व यंत्र निर्माण, कृषि आदाय (बीज, खाद, यंत्र) की सस्ती दर पर पूर्ति, सिंचन सुविधा विस्तार, बाल एवं महिला कल्याण, छात्र कल्याण, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु।

इन सभी कार्यों के लिए पर्याप्त साख प्रबन्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंकों द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के कल्याण हेतु शाखाओं का विस्तार किया है और बैंक साख ने राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाकर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में सहायता की है।

बैंकों के ढांचे में परिवर्तन

बैंक साख का प्रयोग अधिक से अधिक जनकल्याण के कार्यों में हो इस हेतु स्वतंत्र भारत में बैंकिंग अधिनियम, 1949 लागू किया गया। 1954 में सहकारी साख का पुनर्गठन किया गया। 1955 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना, 1969 में 14 एवं 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई, अक्तूबर 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना तथा ग्रामीण एवं कृषि विकास के अधिक साख हेतु नाबार्ड बैंक की 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना की गई तथा रिजर्व बैंक की कार्य नीति में मूलभूत परिवर्तन किया गया। अब अधिकांश बैंक प्राथमिक क्षेत्र के साख प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। अब बैंक जमानत के रूप में ऋणी की उत्पादकता पर महत्व देने लगे हैं।

इस समय देश में साख व्यवस्था द्वारा स्टेट बैंक तथा उसके 7 सहायक बैंक, 20 राष्ट्रीयकृत बैंक, 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व 12606 उनकी शाखाएं, 34 अन्य वाणिज्यिक बैंक, 19 विदेशी बैंक, 4 गैर शिड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक, भूमि विकास बैंक तथा सहकारी बैंक एवं प्राइमरी साख समितियां देश के आर्थिक जीवन के ढांचे में परिवर्तन हेतु कार्यरत हैं।

बैंक शाखाओं में विस्तार

संलग्न तालिका के अनुसार 1969 में कुल बैंक कार्यालयों की संख्या 8262 थी जिसमें 1832 ग्रामीण क्षेत्र एवं 3322 अर्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत थे। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद नीति में परिवर्तन के कारण 1986-87 तक इन कार्यालयों की संख्या 53364 हो गई थी जिसमें 29700 ग्रामीण क्षेत्र, 10658 अर्धशहरी क्षेत्र, 7649 शहरी क्षेत्र एवं 5367 बड़े शहरों में स्थापित हो गई थी। इस परिवर्तन के कारण प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या का अनुपात जो 1947 में 84000 था दिसम्बर 1975 में 27000 एवं 1986 में 13000 हो गया है। अतः स्पष्ट है 1969 के पूर्व की तुलना में 1986 तक साख पूर्ति हेतु बैंक अधिकांश आबादी तक पहुंचने हेतु कार्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं।

साख की मात्रा में वृद्धि

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1969 में कुल बैंक साख 3600 करोड़ में 504 करोड़ प्राथमिक क्षेत्र को मिल रही थी शेष साख शहरी क्षेत्रों को प्रदान की जा रही थी। चौथी, पांचवीं एवं छठी योजना में साख विस्तार के कारण कुल साख 1986 तक 55217 करोड़ हो गई जिसमें 21584 करोड़ प्राथमिक क्षेत्र को मिल रही थी जो कुल साख का 39 प्रतिशत थी। बृहद उद्योगों हेतु साख की मात्रा घटकर 34 प्रतिशत रह गई है। लघु एवं कुटीर उद्योगों हेतु साख 1969 में 286 करोड़ से 1986 में 7808 करोड़ हो गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की साख 1975 में 10 लाख से बढ़कर 1986 तक 114312 लाख हो गई है।

ग्रामीण जीवन के कल्याण में वृद्धि हेतु प्राथमिक क्षेत्र की साख में काफी वृद्धि हुई है और इस साख से लघु कृषकों,

सीमान्त कृषकों, लघु एवं कुटीर उद्यमियों, छोटे व्यापारियों, दस्तकारों, कृषि श्रमिकों, बेरोजगार व्यक्तियों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हुआ है।

साख अमानत अनुपात

साख अमानत अनुपात जो 1947 में 45.6 प्रतिशत था वह बढ़कर 62.2 प्रतिशत हो गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का 1969 में 37.2 प्रतिशत से 1986 में 66.3 प्रतिशत, अर्द्धशहरी क्षेत्र में इसी अवधि में 39.7 प्रतिशत से 51.3 प्रतिशत, शहरों में 59.7 प्रतिशत से 54.9 प्रतिशत एवं बड़े शहरों में 106 प्रतिशत से घटकर 73.8 प्रतिशत हो गया है। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में साख में वृद्धि तथा शहरों में कमी आई है।

राज्यों में साख में विस्तार

आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि 1969 से 1986 के बीच में आन्ध्र प्रदेश में 24.4 प्रतिशत से 72 प्रतिशत, बिहार में 9 प्रतिशत से 85 प्र. श., गुजरात में 15.9 प्र. श. से 57 प्र. श., हरियाणा में 28.2 प्र. श. से 82 प्र. श., जम्मू कश्मीर में 30.3 प्र. श. से 78 प्र. श., केरल में 27.6 प्र. श. से 64 प्र. श., मध्य प्रदेश में 22.3 प्र. श. से 71 प्र. श., उड़ीसा में 11 प्र. श. से 74 प्र. श., पंजाब में 28 प्र. श. से 81 प्र. श., उ. प्र. में 17 प्र. श. से 73 प्र. श. साख की व्यवस्था की जा रही है।

सबसे अधिक साख महाराष्ट्र में तथा सबसे कम साख हिमाचल में दी गई है (इकनामिक जर्नल आफ सिण्डीकेट बैंक अगस्त 1987, पृ. 5) ग्रामीण क्षेत्रों में साख विस्तार कार्यों में नाबार्ड 1982 से सहयोग प्रदान कर रही है।

बचत गतिशीलता में सुधार

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी बचतें अप्रयुक्त थीं उन्हें बैंकों ने एकत्रित कर राष्ट्रीय विकास में लगाया है। 1969 तथा 1986 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों की बचतें 145 करोड़ से बढ़कर 14375 करोड़, अर्धशहरी क्षेत्रों में 1024 करोड़ से 21404 करोड़, शहरों में 1209 करोड़ से 26660 करोड़ एवं बड़े शहरों की बचतें 2287 से 40166 करोड़ हो गई है। स्पष्ट है कि ग्रामों में बचत 3.1 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत हो गई जबकि बड़े शहरों में 49 प्रतिशत से 36 प्रतिशत रह गई है।

बैंक साख प्रगति विवरण

विवरण	बैंक शाखाएं संख्या		साख प्रतिशत		साख अमानत अनुपात		बचत गतिशीलता करोड़ रुपये	
	1969	1986	1969	1986	1969	1986	1969	1986
ग्रामीण क्षेत्र	1832	29700	1.5	14.5	37.2	66.3	145	14375
अर्द्धशहरी	3322	10658	11.3	17.0	39.7	51.3	1024	21404
शहरी	1447	7649	20.0	22.0	59.7	54.9	1209	26660
बड़े शहर	1661	5367	67.2	45.9	106	73.8	2287	40166
कुल	8262	53364	100	100	—	—	4665	102605

स्रोत—ट्रेन्ड एण्ड प्रोग्रेस आफ बैंकिंग इन इण्डिया द्वारा एस. मुखर्जी तथा इकनामिक जर्नल आफ सिन्डीकेट बैंक अगस्त 1987 पृ. 5

पूंजी निर्माण में वृद्धि

साख की मात्रा बढ़ने से देश के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है। यह दर 1950-51 में 5.5 प्रतिशत थी जो 1986 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है। आन्तरिक बचतों की दर 4.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तथा वार्षिक औसत विनियोग की दर 500 करोड़ वार्षिक से 46000 करोड़ रुपये हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये से बढ़कर 2505 रुपये तथा उपयोग 2168 रुपये औसत रूप में हो गया है।

उत्पादकता में वृद्धि

साख सुविधाओं के कारण सिंचाई सुविधाओं, कृषि यंत्रों में वृद्धि हुई है, नवीन बीज एवं अधिक खाद का प्रयोग बढ़ा है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है जैसे 1950-51 में चावल की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता 6.7 क्विंटल से 1984-85 में 15.2 क्विंटल गेहूं 6.6 क्विन्टल से 17.5 क्विंटल, मक्का 5.5 से 10.9 क्विंटल, गन्ना 334.2 से 583 क्विंटल एवं कपास 0.9 क्विंटल हो गई है।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां प्रति हैक्टेयर उत्पादन साख अधिक दी गई है वहां उत्पादन अधिक बढ़ा है तथा जहां कम साख दी गई वहां उत्पादन भी कम बढ़ा है। जैसा कि पंजाब में 383 रुपये प्रति हैक्टेयर दी गई तो उत्पादन 2829 किलो हुआ, हरियाणा में 357 रुपये से 1749 किलो, उ. प्र. में 89 रुपये से 1322 किलो एवं बिहार में 40 रुपये से 816 किलो ही उत्पादन बढ़ा है। (इण्डियन जर्नल आफ एग्रीकल्चरल इकनामिक्स जुलाई-सितम्बर 1986, पृ. 292)

ग्रामीण ऋण ग्रस्तता में कमी

बैंक साख विस्तार से समाज के लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के एक सर्वे के अनुसार 1961-71 में देशी महाजनों की ऋण ग्रस्तता 62 प्रतिशत से घटकर 1971-81 में 16 प्रतिशत रह गई है तथा संस्थात्मक वित्त की मात्रा जो 1961 में 18 प्रतिशत थी 1981 में 63 प्रतिशत हो गई है। अतः स्पष्ट है कि साख प्रसार से जनता के ऋण भार में कमी आई है।

निर्धनता के स्तर में कमी

नियोजन काल में गरीबी दूर करने एवं आय बढ़ाने के अनेकों कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए हैं। इन कार्यों से गरीब जनता की आय बढ़ी है और निर्धनता के स्तर में कमी आई है। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1975-76 की तुलना में 1983-

84 में आंध्र प्रदेश में गरीबी का स्तर 42.18 था वह 39 रह गया। असम में 51.10 से 42, बिहार में 57.41 से 51, गुजरात में 39.04 से 28, हरियाणा में 24.48 से 15, कर्नाटक में 48.34 से 37, केरल में 46.95 से 26, मध्य प्रदेश में 57.73 से 50, उड़ीसा में 66.40 से 45, पंजाब में 15.13 से 11, राजस्थान में 38.76 से 37, तमिलनाडु में 52.12 से 44, उ. प्र. में 50.9 से 46 तथा प. बंगाल में 52.44 से 44 प्र. श. जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही थी। निर्धनता का स्तर उड़ीसा तथा केरल में अधिक कम हुआ है। (इण्डियन जरनल आफ एग्रीकल्चरल इकनामिक्स जुलाई-सितम्बर 1986, पृ. 377) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता का स्तर 1984-85 में 37.4 से घटकर 1989-90 तक 28.2 होने का अनुमान है।

सलाह सुविधाओं में विस्तार

वर्तमान समय में सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है जो अशिक्षित लोगों को सलाह देते हैं कि यंत्रों, बीज, खाद, आदि का प्रयोग किस प्रकार किस समय करना उचित है। कौन-से सिंचाई साधन उचित हैं और कितनी साख की आवश्यकता होगी आदि।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पर्याप्त एवं सस्ती साख, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय संसाधनों का पूर्ण विदोहन कर विकास को गति दे रही है। हमारे देश में मजदूर, किसान, ग्रामीण शिल्पकार, उद्यमी परिश्रमी हैं। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका है। साख के माध्यम से उसे ग्रामीण तक पहुंचाने का कार्य बैंक कर रहे हैं। ग्रामीण जीवन के आर्थिक कल्याण में अपेक्षित स्तर तक विकास करने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवाओं, सरकारी नीतियों एवं बैंक शाखाओं में समन्वय जरूरी है जिससे आर्थिक विकास को सही दिशा दी जा सके और क्षेत्रीय तथा सामाजिक असन्तुलन को दूर कर ग्रामीण जनजीवन का समुचित विकास किया जा सके।

ग्रामीण कल्याण वृद्धि में बैंकों के सामने समस्याएं

बैंकों की शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहा है लेकिन बैंक के कर्मचारी, शहरी आधारित होने के कारण गांव वालों की समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। अतः बैंक शाखाओं द्वारा अधिक साख का लाभ ग्रामीणों को दिलाने के लिए ग्रामीण कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए। बैंक अधिकारी कर्ज स्वीकृत करने के लिए गांव वालों से कमीशन लेते हैं। बिना कमीशन के ऋण स्वीकृत नहीं करते हैं। बैंक कर्मचारी व्यापारियों की वस्तुओं की कीमत अधिक निर्धारित करवाकर उसके लाभ में भागीदार बनकर गांव वालों का शोषण करते हैं। फील्ड अधिकारी प्रत्येक गांव का वास्तविक भ्रमण नहीं करते हैं। गांव के लोग बैंक की नीतियों को पूर्ण रूप से समझते नहीं हैं अतः संकोच करते हैं। साख की मात्रा उत्पादिक कार्य की तुलना में कम दी जाती है। कर्मचारियों में कार्य टालने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। गांव में साहसियों की कमी है तथा गांव में संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है। बैंकों के कार्य घंटे ग्रामीणों की सुविधानुसार नहीं हैं। इन समस्याओं के कारण बैंक साख का समुचित लाभ गांव वाले नहीं उठा रहे हैं। अतः इन कठिनाइयों का निराकरण किया जाए।

वाणिज्य विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तरकाशी

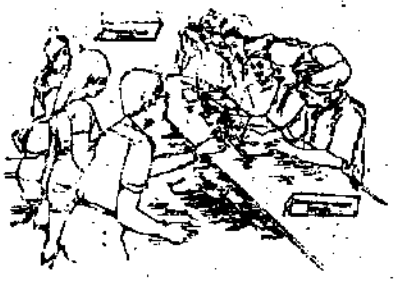

वनों के संरक्षण के उपाय

निरूपम

वनों से मनुष्य का संबंध उस युग से चला आ रहा है जब से इस धरती पर उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ है, मनुष्य की वनों से दूरी तो बढ़ती गई है लेकिन वनों पर उसकी निर्भरता में कोई कमी नहीं आई है। विकास संबंधी गतिविधियों के कारण आज धरती से वन समाप्त होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक ओर वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं जैसे ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, जड़ी-बूटी आदि नहीं मिल पा रही हैं और दूसरी ओर हमारे पर्यावरण पर वनों के विनाश का बहुत बुरा असर पड़ा है।

वनों से मनुष्य को कई फायदे हैं हरे-भरे वन हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और सुन्दर बनाने में तो सहायक होते ही हैं; इसके संरक्षण में भी काफी मददगार साबित होते हैं। धरती पर रहने वाले प्राणी सांस के जरिए जो आक्सीजन लेते हैं उसकी उचित मात्रा वायुमंडल में बनाए रखने में पेड़-पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रकृति ने जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों के बीच एक ऐसा संबंध बनाया है कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जीव-जन्तु सांस में आक्सीजन लेते हैं और कार्बन-डाई-आक्साइड बाहर छोड़ते हैं। पेड़-पौधे सूर्य के प्रकाश में इसी कार्बन-डाई-आक्साइड से आक्सीजन बनाते हैं। इस तरह जीवों तथा वनस्पतियों की पारस्परिक निर्भरता से पर्यावरण में एक संतुलन कायम रहता है। लेकिन आज जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है और धरती से वन समाप्त हो रहे हैं उसे देखकर लगता है कि यह प्राकृतिक संतुलन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा।

एक और तरह से भी वन हमारे पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होते है। मिट्टी का सबसे उपजाऊ अंश धरती की ऊपरी परत में मौजूद रहता है। अधिक वर्षा और बाढ़ से इसके बह जाने का खतरा रहता है। पेड़-पौधे और वनस्पतियां फालतू पानी को सोखकर जमीन के कटाव को रोकते हैं। यही नहीं इनसे अधिक वर्षा होने पर भी बाढ़ का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है।

पर्यावरण संरक्षण के अलावा वनों के कुछ प्रत्यक्ष लाभ भी हैं। वनों से ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी और जड़ी-बूटियों के अलावा कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। दरअसल इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्यावरण संतुलन कायम रखने के लिए किसी भी देश में एक-तिहाई भू-भाग पर वनों का होना आवश्यक है। हमारे देश में इस समय करीब 747.2 लाख हैक्टेयर भूमि पर वन हैं जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का करीब दसवां हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार इस स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। वनों के अनुपात में इस कमी का कारण जहां आजादी से पहले विदेशी शासकों की औपनिवेशिक वन नीति रही है वहीं स्वतंत्रता के बाद विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने भी स्थिति को चिन्ताजनक बनाया है। 1952 में हमारी राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा की गई और वनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वनों के प्रबंध में सुधार की योजना बनाई गई। वन नीति में वनों के वर्गीकरण और संरक्षण के अलावा लोगों की वन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में भी योजना बनाई गई। इसमें देश के पहाड़ी इलाकों में 60 प्रतिशत और मैदानी इलाकों में 20 प्रतिशत भू-भाग पर वनों को बनाए रखने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय वन नीति में जमीन के कटाव को रोकने में वनों की भूमिका को स्वीकार किया गया।

1952 की राष्ट्रीय वन नीति तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उस समय देश में पर्यावरण के लिए उत्पन्न भारी संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सका था जो आज सामने आ खड़ा हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में भारी वृद्धि से आज देश के ग्रामीण तथा पहाड़ी इलाकों में आम आदमी की ईंधन की आवश्यकता पूरा करने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। यही स्थिति इमारती लकड़ी, ईंधन तथा औद्योगिक कच्चे माल के संबंध में भी है। इसके अलावा आज भी हमारे देश के कुछ इलाकों के लोग वनों से

इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं कि उन्हें केवल कानून बनाकर वन-उपज के उपयोग से नहीं रोका जा सकता। वास्तव में इसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर 1988 में सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की। नई वन नीति में जो मुख्य बातें हैं उनमें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, भूमि संरक्षण, सामाजिक वानिकी के जरिए देश में बड़े पैमाने पर वनरोपण, ग्रामीण और जनजातीय लोगों की ईंधन, चारे, इमारती लकड़ी आदि की आवश्यकता पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, वनों की उत्पादकता बढ़ाना, वन-उत्पादों के स्थान पर वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना तथा वनों पर निर्भरता कम करने के लिए महिलाओं के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं।

वनों के तेजी से समाप्त होते जाने से जो संकट उपस्थित हो रहा है सरकार उसके प्रति जागरूक है। राष्ट्रीय वन नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए 1985 में पर्यावरण और वन नाम का एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसके अंतर्गत पर्यावरण, वन और वन्य जीवन विभाग खोला गया है। विभाग ने वन संरक्षण के लिए वन लगाने, बंजर भूमि पर पेड़-पौधे लगाने, नष्ट हो चुके वनों में फिर से पेड़ लगाने, वनों पर निगरानी रखने के लिए वन विभाग की गतिविधियों को ज्यादा प्रभावी बनाने, वन उपज के उपयोग पर नियंत्रण तथा इमारती लकड़ी पर प्रतिबंध जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है।

हमारी विकास संबंधी गतिविधियों का असर भी वनों पर पड़ा है। प्रारंभ में विकास योजनाएं बनाते हुए इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था कि इनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जल-विद्युत परियोजनाओं, खान-परियोजनाओं, ताप-विद्युत केन्द्रों आदि की स्थापना से पहले इनके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का पता लगाने की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर अब ऐसी परियोजनाओं को लागू किया जाता है जिन परियोजनाओं का वनों पर असर पड़ता है उनको मंजूरी देने में यह शर्त रखी जाती है कि वृक्षारोपण के द्वारा इस तरह के प्रभाव को कम करने में मदद देंगे।

नई राष्ट्रीय वन नीति की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है। दरअसल वनों के विनाश का एक मुख्य कारण ग्रामीण इलाकों के लोगों की ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी की आवश्यकता पूरी करने के लिए इनका काटा जाना है। लेकिन वन एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसे फिर से काम में लाया जा सकता है। पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के परंपरागत साधन की तरह वनों के उपयोग के साथ-साथ समाप्त हो जाने की संभावना नहीं है। यदि वनों का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तथा जिस रफ्तार से वन काटे जाएं उसी रफ्तार से नए पेड़ लगाए जाएं तो पर्यावरण पर बुरा असर डाले बिना वनों का लाभ उठाया जा सकता है।

हमारे देश में औद्योगीकरण की तेज रफ्तार तथा जनसंख्या के भारी दबाव के कारण कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूमि की उत्पादकता भी कम हो रही है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी करने का एकमात्र तरीका यह ही रह जाता है कि बंजर भूमि का विकास किया जाए। सरकार ने इसके लिए परती भूमि विकास बोर्ड का गठन किया है जो बंजर भूमि में पेड़-पौधे लगाने के कार्यक्रम चलाता है। आठवीं योजना में इस कार्य के लिए एक टेक्नोलॉजी मिशन बनाया जा रहा है। देश के कई अनुसंधान संस्थान बंजर भूमि में पैदा हो सकने वाली वनस्पतियों के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं और इस दिशा में कुछ सफलताएं भी मिली हैं।

देश में कुछ भागों में प्राय: सूखे की आशंका बनी रहती है। सूखे से फसल को तो नुकसान होता ही है, भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है तथा चारे और पानी की उपलब्धता पर भी इसका असर पड़ता है। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनके जरिए भूमि और जल संसाधनों के समुचित विकास के द्वारा पर्यावरण संतुलन कायम करने और मरुस्थलों के प्रसार को रोकने का प्रयास किया जाता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक वानिकी का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आम जनता का सहयोग लिया जाता है। इससे जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली राशि में लगातार वृद्धि हुई है। 1988-89 में सामाजिक वानिकी के लिए 70.50 करोड़ रुपये रखे गए थे। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में सड़कों तथा नहरों के किनारे और सरकारी भूमि पर वृक्ष लगाए जाते हैं। नष्ट हो चुके वनों को फिर से विकसित करने तथा सामुदायिक भूमि पर वन लगाने के

कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत एक और कार्यक्रम फार्म वानिकी भी चलाया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराई गई भूमि में वृक्ष लगाने का कार्य किया जाता है। 1985-86 में फार्म वानिकी कार्यक्रम पर 48.01 करोड़ रुपये खर्च हुए और 53300 हैक्टेयर भूमि पर 27.6 करोड़ पेड़-पौधे लगाए गए। 1986-87 में 92.50 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित थे जबकि वास्तविक खर्च 106.08 करोड़ रुपये रहा। इससे 2,40,388 हैक्टेयर भूमि पर 37.6 करोड़ पौधे लगाए गए। 1987-88 में 100.45 करोड़ रुपया खर्च करके 22,6 9,227 हैक्टेयर क्षेत्र में 12.9 करोड़ वृक्ष लगाए गए। 1988-89 में दिसम्बर के अंत तक 91,182 हैक्टेयर भूमि पर 20.7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके थे। हाल में घोषित जवाहर-रोजगार योजना में भी सामाजिक वानिकी के लिए व्यवस्था की गई है।

सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं उनसे पर्यावरण के लिए उत्पन्न वर्तमान संकट के प्रति सरकार की चिंता का पता चलता है। लेकिन ये कार्यक्रम तभी सफल सिद्ध हो सकेंगे जब आम आदमी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक होगा। हर्ष का विषय है कि हमारे समाज में धीरे-धीरे इस संबंध में जागरूकता आ रही है। आशा करनी चाहिए कि एक दिन हम अवश्य ही पर्यावरण के लिए उत्पन्न संकट को टालने में सफल हो सकेंगे।

डी-1/65,
लोधी कालोनी,
नई दिल्ली-3

"कुरुक्षेत्र" मंगाने का पता
व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
पटियाला हाउस
नई दिल्ली-110001

वार्षिक : 20.00 रु.
द्विवार्षिक : 36.00 रु.
त्रिवार्षिक : 48.00 रु.
चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा मनिआर्डर
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग के नाम देय होना चाहिए।

जवाहर रोजगार योजना-जीवनदायिनी संजीवनी

ओ. पी. त्रिपाठी

सरकार का आरम्भ से ही गांवों की गरीबी दूर करना, गांव के लोगों को विकास के अवसर प्रदान करना मुख्य लक्ष्य रहा है। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया था कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर दुःखी गरीब की आंखों का आंसू पोछना है। पर वे जानते थे कि सही लोकतंत्र इस देश में तभी स्थापित होगा जब इसके तीनों पाए मजबूत हों, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति तो हो चुकी लेकिन आर्थिक लोकतंत्र तभी कायम होगा जब विषमता मिट जाएगी। जब तक समाज में समता नहीं आएगी, तब तक लोकतंत्र सही माने में नहीं आएगा। और समाज की बुराइयों को दूर किए बिना सामाजिक लोकतंत्र भी कायम नहीं हो पाएगा। इस दिशा में उनकी सरकार ने कई कदम उठाए जिनमें पंचायती राज और भारत सेवक समाज जैसी संस्थाओं ने योग दिया। अंत तक उनका यही प्रयास रहा कि हमारे ये गांव धरती पर स्वर्ग बन जाएं। उनके बाद प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने उनके सपने को साकार करने के लिए कई कदम उठाए जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण जीवन में विकास हुआ। गरीबी के स्तर से नीचे बसर करने वालों की संख्या में कमी आई प्रतिशत और संख्यात्मक दोनों ही दृष्टियों से।

गांवों के विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए, गांवों के लोगों को रोजगार की सुविधाएं देने, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा महिलाओं को सर्वांग पूर्ण विकास का अवसर देने के लिए सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का ऐलान किया है जो ग्रामीण विकास के लिए एक सुवर्ण अवसर है यदि इसे समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाए।

यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा गहन रोजगार कार्यक्रम का समन्वित रूप है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के अनुपात के आधार पर खर्च वहन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों को केन्द्र से सीधे सहायता प्राप्त होगी। जिले को दिए गए आबंटन में से कम से कम 80 प्रतिशत पंचायतों और मंडलों को आबादी के आधार पर दिए जाएंगे।

इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुधार करना तथा प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी देना है।

जवाहर रोजगार योजना निस्संदेह एक क्रान्तिकारी अभूतपूर्व प्रयास है—बशर्ते केन्द्र से लेकर गांवों के पंचायत स्तर तक सही ढंग से धनराशि का उपयोग हो....लेकिन इस योजना में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अधिकारियों का ध्यान जाना अत्यन्त जरूरी है:

1. यदि योजना के अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिक परिवार के एक व्यक्ति को साल में केवल 100 दिन रोजगार मिलता है, तो वह बाकी 265 दिन क्या करेगा? इस पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।

2. इस विशाल योजना के क्रियान्वयन में असाधारण सावधानी और चौकसी बरतनी परमावश्यक है क्योंकि भ्रष्टाचार की अपरिमित गुंजाइश है। भाई-भतीजावाद तथा हर प्रकार के भ्रष्टाचार पर कड़ी निगाह रखना जरूरी है।

3. ब्लॉक इंजीनियर, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी आपस में मिलकर इस सुन्दर योजना का इस्तेमाल अपना उल्लू सीधा करने में कर सकते हैं। वे जिन बेरोजगार लोगों को काम पर लगायेंगे उन्हें अपनी खेतीबाड़ी, बागवानी तथा घर के काम में लगाकर कागज पर दिखा सकते हैं कि योजना के अनुसार उन्हें काम दिया गया है।

ऊपर जिन बातों का संकेत किया गया है, वे हमारे दैनंदिन जीवन की वास्तविकताएं हैं। हर तरह की भ्रष्टता पूरे समाज में व्याप्त है। एक यही वजह है कि अब तक जन जीवन में विकास के लिए जितना प्रयास किया है, उसके अनुरूप परिणाम प्रायः नहीं मिल पाये हैं। आर्थिक स्तर को उठाने से पहले नैतिक स्तर को उठाना बहुत जरूरी है।

राष्ट्र की—विशेषकर ग्रामीण जनता की धमनियों में नए रक्त का संचार करने के लिए जवाहर रोजगार योजना संजीवनी है। सरकार के भगीरथ प्रयास से जब धनराशि को गंगा प्रवरमान होकर गांवों की तरफ चलेगी तो रास्ते में अनेक गड्ढे और रेगिस्तान पार करना पड़ेगा। ऐसा न हो कि यह जीवनदायिनी जलधारा मार्ग में जहां-तहां फैले रेगिस्तान में ही सूख जाए और लक्षित जनसमूह तक नाम मात्र को पहुंचे या पहुंचे ही नहीं? अब तक का अनुभव यही बताता है। केन्द्र ने गांवों के विकास के ऊपर खर्च करने में कभी कोताही नहीं की है। लेकिन केन्द्र का यह वरदान लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। इसी परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कभी विनोबा भावे जी ने कहा था कि भारत को आजादी मिली तो सही, लेकिन वह दिल्ली के सरकारी दफ्तरों का ही चक्कर काटती रही। यह उसी खतरे की ओर संकेत है। समन्वित योजना का क्रियान्वयन शुरू करने के साथ ही साथ हर नाके पर सतर्कता की व्यवस्था की जाए। इसमें साथ ही समय-समय पर जायजा लिया जाए कि इस कार्य में व्यवधान तो नहीं पड़ रहा है।

सुरसा की तरह लोग मुंह फैलाए बैठे हैं कि कैसे मौका मिले कि अधिकांश धन राशि पर हाथ साफ करके कागजी तौर पर दिखा दिया जाए कि काम अच्छी तरह हो रहे हैं। अगर इस दूरदर्शी योजना को खतरा कहीं से है—तो ऐसे ही असामाजिक तत्वों से है, जो राष्ट्र को कमजोर करने में ही तत्पर रहते हैं।

इसके लिए एक ऐसी मशीनरी तैयार की जाए जो जब चाहे अचानक पहुंच कर देखे कि योजना का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है, या नहीं? जहां-कहीं भी यह मालूम हो कि कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है वहां फौरन उचित उपाय करें, ताकि सरकार की संजीवनी, जीवनदायिनी धारा गांव के बेरोजगार गरीब जनता तक पहुंचे। इस बात की चौकसी और भी आवश्यक है कि अनुसूचित जातियां और जनजातियां लाभान्वित हो रही हैं या नहीं? महिलाओं को उचित संसाधन प्राप्त हो रहे हैं या नहीं?

वस्तुतः यह कठिन समस्या है—लेकिन इसका समाधान भी नितान्त आवश्यक है।

3 ए/1 डब्ल्यू. ई. ए.,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005

लेखकों के लिए

रचना और अन्य प्रकाशनार्थ सामग्री भेजने वालों से अनुरोध है कि रचना भेजते समय वे कृपया इन बातों का ध्यान रखें:—

रचना संक्षिप्त एवं उसकी प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। इसमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी अप्रकाशित और प्रमाणित होनी चाहिए।

रचना दो प्रतियों में डबल स्पेस में टाइप की हुई हो जो सात-आठ पृष्ठों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। विषय प्रतिपादन में उपशीर्षकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

रचना के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी आमंत्रित हैं।

राजस्थान के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बैंकों की सक्रिय भूमिका

अशोक नागर

राजस्थान का इतिहास गौरवमय ही नहीं वरन् सांस्कृतिक परम्पराओं का धनी रहा है। मगर दूसरी ओर प्राकृतिक विपदाओं की त्रासदी ने भी प्रतिवर्ष प्रदेश के जनजीवन एवं आर्थिक विकास को चुनौती दी है।

वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक समाज एवं जन-जीवन की आकांक्षाओं के पर्याय बन गए हैं एवं राष्ट्रीय नीति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंकिंग क्रियाकलापों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं।

वर्तमान में राजस्थान के सर्वांगीण विकास में बैंकों के योगदान का स्वरूप ही बदल गया है एवं वर्ग विशेष के स्थान पर समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। शाखा विस्तार जो आज राजस्थान के दूर-दराज क्षेत्रों में पहुंच गया है उसी के फलस्वरूप गरीबी एवं बेरोजगारी के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बैंक समाज के विकास के महत्वपूर्ण आयाम बन गए हैं।

शाखा विस्तार

राष्ट्रीयकरण के समय राजस्थान में बैंकों की मात्र 369 शाखाएं कार्यरत थीं। जून, 1988 के अन्त तक 2790 शाखाओं का जाल सभी क्षेत्रों में फैल गया है। लगभग 85 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। व्यावसायिक बैंकों के अतिरिक्त राजस्थान के सभी 27 जिलों में 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1026 शाखाएं कार्यरत हैं। विस्तृत शाखा विस्तार के फलस्वरूप जहां जून 1969 की अवधि में लगभग 70,000 की जनसंख्या में एक बैंक शाखा थी उसका अनुपात घटकर वर्तमान में 12300 तक पहुंच गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 110 अतिरिक्त शाखाओं के खोलने का प्रावधान है एवं ऐसी आशा की जाती है कि सेवा क्षेत्र पद्धति के अन्तर्गत ऐसे स्थानों जहां बैंकिंग सुविधा का अभाव है अतिरिक्त शाखाएं खोली जा सकेंगी जिससे प्रत्येक गांव को किसी एक बैंक शाखा से जोड़ा जा सके।

जमा राशि एवं ऋण विस्तार

जुलाई 1969 के समय जमा राशि जो मात्र 93.5 करोड़ रुपये थी जून 1988 के अन्त तक लगभग 3500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह जमा राशि अधिकांशतः ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में छोटे-छोटे खातेदारों के माध्यम से अर्जित की गई है एवं इस जमा राशि का उपयोग राजस्थान के विकास में हो रहा है। यहां यह इंगित करना वांछित होगा कि ऋण राशि का विस्तार भी जून 1969 में 46 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1988 तक 2070 करोड़ रुपये तक पहुंच गया हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बैंकों के कुल ऋण का लगभग 60 प्रतिशत भाग लगा हुआ है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कृषि ऋण, कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण एवं विभेदात्मक ब्याज दर के तहत भी बैंकों ने अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा किया है जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(जून 1988)

मानदण्ड	राशि (करोड़ रु. में)	कुल ऋण का प्रतिशत
कुल ऋण	2070.38	
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण	1283.17	61.97
प्रत्यक्ष कृषि ऋण	618.55	29.88
विभेदात्मक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण	22.70	1.17
कमजोर वर्गों को ऋण	502.58	24.27

स्रोत-मार्गदर्शी, क्षेत्रीय कार्यालय बैंक आफ बड़ौदा-उदयपुर

यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत भी राजस्थान में बैंकों ने पिछले वर्षों में अपने सभी लक्ष्य प्राप्त किए हैं एवं अधिकाधिक परिवारों एवं इकाइयों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पिछले वर्षों में सराहनीय कार्य किया गया है

फलस्वरूप राजस्थान की प्रगति अन्य राज्यों की तुलना में प्रथम रही है। पिछले वर्षों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	लाभान्वित परिवारों की संख्या			राशि
	कुल	अनु. जाति/अनु. जनजाति	अ. जा./ अ. ज. जा. का प्रतिशत	(करोड़ रु.)
1983-84	164791	89882	55	29.86
1984-85	158994	89221	56	30.73
1985-86	140503	80367	57	29.44
1986-87	164472	86248	53	36.05
1987-88	214323	114367	53	41.03
1988-89 (अप्रैल-जून)	17963	5541	30	2.60

स्रोत-मार्गदर्शी, क्षेत्रीय कार्यालय बैंक आफ बड़ौदा उदयपुर

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना

15 अगस्त, 1983 को प्रारम्भ इस योजना के क्रियान्वयन में बैंकों ने अपना योगदान देते हुए शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान की प्रगति देश के सभी राज्यों में प्रथम है जो सराहनीय है। वर्ष वार प्रगति निम्न प्रकार है:

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृति	ऋण वितियोजन	
	संख्या	संख्या	अनु. ज. जा./ अ. जा.	महिला लाभार्थी
1983-84	15000	15054	787	उपलब्ध नहीं
1984-85	15000	15382	770	1200
1985-86	10300	10986	696	595
1986-87	10300	10736	1285	556
1987-88	5150	5579	747	292

स्रोत-राज्य स्तरीय संगोष्ठी जयपुर, अक्तूबर 1988

शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम

1 सितम्बर, 1986 से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम राजस्थान राज्य में भी प्रारम्भ किया गया एवं वर्ष 1986-87 के दौरान लगभग 19800 एवं वर्ष 1987-88 के दौरान लगभग 21000 लाभार्थियों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

विभेदात्मक ब्याज दर योजना

जून, 1988 में विभेदात्मक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 22.7 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है जो कि लगभग कुल ऋण राशि का 1.17 प्रतिशत है जो 1 प्रतिशत के राष्ट्रीय मापदण्ड से अधिक है।

अग्रणी बैंक योजना

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशानुसार राजस्थान के सभी 27 जिले विभिन्न बैंकों को आबंटित किए गए हैं जो अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वार्षिक योजना कार्यक्रमों की उपलब्धियां

प्रत्येक जिले के विकास के लिए विभिन्न उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों के लिए आवश्यक ऋण राशि को निर्धारित कर बैंकों ने अपने लक्ष्य पूरे किए हैं एवं पिछले वर्षों में निम्न राशि का ऋण वितरण किया है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1984	393
1985	423
1986	385
1987	451

स्रोत-मार्गदर्शी, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंक आफ बड़ौदा, उदयपुर वर्ष 1988 के लिए 492.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सूखा राहत कार्यक्रमों में बैंकों का सामाजिक दायित्व

राजस्थान राज्य पिछले 4 वर्षों से निरन्तर सूखे से प्रभावित रहा है जिससे सामाजिक जन-जीवन, कृषि व पशु धन एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसी विपदा में बैंकों ने अपने सामाजिक दायित्वों को भलीभांति समझते हुए केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने एवं अतिरिक्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर उनका सफल क्रियान्वयन किया है। वर्ष 1987-88 के दौरान लगभग 3,30,000 से अधिक परिवारों को 105 करोड़ रुपये की मदद उपलब्ध कराई है।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम

कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में 14 जिलों का चयन किया जाकर गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, फसलों के लिए 'सघन खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम' तैयार किया गया है जिससे वर्ष 1989-90 के अन्त तक 113 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य को पूरा किया जा

सके। इस विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न संस्थाओं के लिए ऋण वितरण कर निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

संस्था का नाम	राशि (करोड़ रु. में)
सहकारी बैंक	78.4
व्यावसायिक बैंक	62.0
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.6
कुल	142.0

स्रोत-विभिन्न स्रोत

यह आशा की जाती है कि ऋण शिविरों के माध्यम से प्राप्त अधिक से अधिक आवेदन पत्रों को व्यावसायिक बैंकों को प्रेषण किया जाएगा जिससे रबी फसल 1988-89 के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

भावी कार्यक्रम

राजस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1988-89 में निम्न लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है—

		लाभान्वित होने वाले परिवारों की लक्ष्य संख्या
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	कुल	200467
	जिसमें से महिलाएं	60000
	अनु. ज. जा./अ. जा.	106000
	द्वितीय खेप	30000
शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार	कुल	10300
	अनु. ज. जा./अ. जा.	3090
ग्रामीण दस्तकार		20000
	अनु. ज. जा./अ. जा.	7050
अनुसूचित जाति हेतु ग्रामीण आवास		10168
पैकेज आफ प्रोग्राम (शहरी क्षेत्र)		12,000
अनुसूचित जाति के लाभार्थ		
रा. रा. अ. जा. विकास निगम		
लिमिटेड योजना		2800
गोर बैस		5000
विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम	रु. 142 करोड़	

स्रोत-विभिन्न स्रोत

यह आशा की जाती है कि सभी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से उपरोक्त लक्ष्य पूरे किए जा सकेंगे जिससे समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

बैंक आफ बड़ौदा के संयोजकत्व में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति अपने दायित्वों का निर्वाह सभी विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड बैंकों एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से भलीभांति निभा रही है। इस समिति के माध्यम से आपसी समन्वय रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में आने वाली समस्याओं/कठिनाइयों का निराकरण किया जाता रहा है जिससे राजस्थान के विकास की गति को तीव्रता मिलती है।

यहां यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि राजस्थान में बैंक सेवा एवं उनकी कार्य प्रणाली जन मानस से जुड़ गई है एवं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकिंग संस्थान एक सशक्त माध्यम बन गए हैं। आगे आने वाले वर्षों में यह आशा की जाती है कि बैंकिंग तंत्र अपनी संवेदनशीलता एवं लचीलेपन की भावना के अनुरूप राजस्थान के चहुंमुखी विकास में निरन्तर योगदान देते रहेंगे।

10—भदेसर चौक,
उदयपुर (राज.)

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से बेरोजगार गरीबों के आंसू पोंछना संभव

डॉ. नरेश कुमार

ग्रामीण क्षेत्रों में 'लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना' बेरोजगारी दूर करने का महत्वपूर्ण साधन है। योजनाओं में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगीकरण की समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामों से बेरोजगारी एवं निर्धनता तथा शहरी-ग्रामीण असमानताओं को लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना से ही दूर किया जा सकता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं तक के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि आवश्यक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की तुलना में औद्योगिक विकास को कम महत्व दिया गया। फलतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय 4672 करोड़ रुपये में से 187 करोड़ रुपये कुटीर एवं लघु उद्योगों पर व्यय हुए, जो कि कुल व्यय का 4 प्रतिशत मात्र था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग पर कुल व्यय 4 प्रतिशत ही प्रस्तावित किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर 3.4 प्रतिशत व्यय हुआ है। पांचवीं योजनाकाल में उद्योगों के विकास पर जो धनराशि निर्धारित की गई, उसका 60 प्रतिशत भाग लघु उद्योगों पर व्यय करने का प्रस्ताव किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना तक ग्रामों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का संतुलित विकास न होने के कारण औद्योगिक विकास महानगरों तक ही सीमित रहा और श्रमिकों का गांवों से शहरों में पलायन बढ़ता ही रहा और फलस्वरूप महानगरों में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि साधनों के विस्तार की आवश्यकता बनी हुई है। कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार की सम्भावनाएं भी असीम हैं। सन् 1978-79 की वार्षिक योजना में ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए 219 करोड़ रुपये की राशि रखी गई और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 69 वस्तुओं को शुल्क से मुक्ति दी गई। केन्द्रीय सरकार के सन् 1988-89 के बजट में लघु तथा ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन देना सरकार का लक्ष्य रहा। केंद्रीय सरकार के 1988-89 के बजट 287.15 करोड़ रुपये में से लघु उद्योगों को विकास हेतु 250 करोड़ की इक्विटी पूंजी वाला एक विशेष बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव लाभकारी सिद्ध होगा। केंद्र सरकार का ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की सृजन की विशेष योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उत्पाद तथा रेडियो कैसेट प्लेयर और टेप रिकार्डर संयुक्त रूप से रेडियो, टेप रिकार्डरो, वोल्टेज स्टेबिलाइजरों और 75 रुपये प्रति जोड़े से कम कीमत वाले जूतों के अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्मित कपड़े धोने के साबुन और कार्बोलिक साबुनों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण मुक्त रखने का प्रस्ताव स्वागत-योग्य है।

निःसंदेह कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना एवं विकास में सहकारी व्यवस्था प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है। सहकारी समितियां इनके विकास के लिए उपयुक्त वित्तीय आधार बना सकती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी साख समितियों के माध्यम से आसान-किस्तों में ब्याज की न्यून दरों पर ऋण सुविधाएं ग्रामीण कारीगरों को दिलाई जाएं और साथ ही सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कुटीर उद्योगों से संबद्ध प्रशिक्षण देने की ग्रामों में व्यवस्था की जाए। केवल ऋण की सुविधा दे देने मात्र से ही कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है जब तक कि परंपरागत अनुभव रखने वाले लोगों के अतिरिक्त प्रशिक्षित एवं कुशल कारीगर उपलब्ध न हों। ऋण की सुविधा भी प्रशिक्षित कारीगरों को ही दी जानी अपेक्षित है। एक ओर नए उद्यमियों को बैंकों से ऋण लेने, गारंटी या जमानत देने, उद्योग के पंजीकरण, तैयार माल के विपणन में कठिनाई, ऊंची ब्याज दर का सामना करना पड़ता है तो दूसरी ओर नए उद्यमियों द्वारा सहकारी साख समितियों के ऋण के दुरुपयोग, ऋण को न लौटाने आदि के कारण भारत में सहकारिता-आंदोलन के विकास में अनेक बाधाएं सामने आई हैं।

निश्चय ही लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की नीति से उद्योगों एवं आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण में सहायता मिलेगी। ग्रामों में डेरी उद्योग, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, हाथ-करघा आदि का विकास सरलता से थोड़ी पूंजी लगाकर किया जा सकता है। हमारा सुझाव यहां यह है कि ग्रामों की आवश्यकताओं, कच्चे माल की सुविधा, तैयार माल की पूर्ति एवं स्थानीय मांग को दृष्टि में रखते हुए ग्रामों में लघु उद्योगों की

स्थापना का शुभ आरंभ पहले सरकार के द्वारा किया जाए और प्रशिक्षण के उपरांत नए उद्यमियों को सहायता एवं संरक्षण भी प्रदान किया जाए। उत्पादन के क्षेत्र में आरक्षण के बावजूद भी लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सूती कपड़ा, जूता, साबुन, खिलौने, कृषि में काम आने वाले उपकरण तथा मशीनों से संबंधित लघु उद्योग, खांडसारी के क्रेशर, तेल के कोल्हू, मिट्टी एवं चीनी के बर्तन आदि का विकास ग्रामों में सरलतापूर्वक किया जा सकता है। ग्रामों की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था न केवल कृषि एवं पशु-पालन पर आधारित है, बल्कि कुटीर उद्योगों के विकास पर भी ग्रामों का उज्ज्वल भविष्य निर्भर करता है। कृषि को उचित महत्व देते हुए गांव के घर-घर में कुटीर उद्योगों की स्थापना हमारी योजनाओं का लक्ष्य होना चाहिए। कृषि से संबंधित कुटीर उद्योगों में न केवल कच्चे माल की खपत होगी बल्कि साथ ही कृषि में इन उद्योगों से संबंधित उत्पादन को भी स्वतः प्रोत्साहन मिलेगा।

अतः ग्रामों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास की समन्वित योजनाएं अविलंब क्रियान्वित की जानी चाहिए। स्वाधीनता के पश्चात् योजनाबद्ध विकास से कृषि-उत्पादन बढ़ा है, परंतु जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण कृषि-भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ा है और बेरोजगारी बढ़ी है। जब तक ग्रामों में कृषि के साथ-साथ कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक ग्रामों का आर्थिक विकास संभव नहीं है। कृषि और कुटीर उद्योगों के विकास में ठीक संतुलन से ही कृषि-भूमि पर जनसंख्या के भार को कम किया जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल की जा सकती है।

जे 235, पटेल नगर प्रथम, गाजियाबाद

प्रेरणाप्रद प्रयाण-गीत

आगे बढ़ो, जवान! लेखक : कन्हैया लाल 'मत्त'; प्रकाशक : काकली प्रकाशन, के. बी. 47, कविनगर, गाजियाबाद; मूल्य 12 रुपये; पृष्ठ संख्या : 32 (सजिल्द)।

हमारे देश में राष्ट्रीय कविताओं की एक विशिष्ट परंपरा रही है। जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह 'दिनकर' और सोहन लाल द्विवेदी ने राष्ट्रीय भावना को काव्य-क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। स्वाधीनता-संघर्ष में राष्ट्रीय कविताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी कविता की राष्ट्रीय धारा की प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय पर्वों पर हम उन्हीं कविताओं को टटोलते हैं। हालांकि यह विडंबना ही है कि इन राष्ट्रीय कविताओं की सार्थकता हमें केवल तभी महसूस होती है जब कोई राष्ट्रीय उत्सव हो, या देश के सामने कोई बाह्य या आंतरिक संकट उपस्थित हो। पत्र-पत्रिकाएं भी ऐसे ही अवसरों पर राष्ट्रीय चेतना के गीत या कविताएं प्रकाशित करती हैं। सुपरिचित कवि श्री कन्हैया लाल 'मत्त' की राष्ट्रीय कविताएं ऐसे ही अवसरों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। उन राष्ट्रीय कविताओं में कुछ प्रेरक और उद्बोधक प्रयाण-गीत भी थे। ऐसे ही बीस प्रयाण-गीतों का संकलन है— 'आगे बढ़ो, जवान!'

प्रस्तुत पुस्तक में देश के नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना भरने का सफल प्रयास किया गया है। संस्कृति के संकट को कवि ने गहराई से महसूस किया है और लोक-मानस को जाग्रत करने का बीड़ा उठाया है। इन प्रयाण-गीतों का एक महान उद्देश्य रहा है और वह उद्देश्य है—राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण और भारतीय गौरव का निर्देशन।

हमारा देश चार बार युद्ध की परिस्थितियों से गुजरा है और चारों बार हमारे सैनिकों ने दुश्मनों से जमकर लोहा लिया है। सैनिकों में शौर्य और साहस भरने के लिए इस पुस्तक के प्रयाण-गीत उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए—

"हमारे बल का मुकाबला, क्या—
कभी किसी ने कहीं किया है?
हमारे सैनिक की हर कहानी
हमारे दुश्मन का मर्सिया है।

हमीं ने अमृत को प्यार बख्शा,
हमीं ने विष को गले उतारा।
हमीं तो हैं इस वतन के मालिक,
है चप्पे-चप्पे पर हक हमारा!"

पाठक इस पुस्तक का स्वागत करेंगे—यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है।

समीक्षा : देवेन्द्र मोहन

1261, गुलाबी बाग, दिल्ली-110007

ग्रामीण बेरोजगारी एवं जवाहर रोजगार योजना

शिवेन्द्र नारायण सिंह

भारत गांवों का देश है। पूरे देश में लगभग 5,75,936 से अधिक गांव हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार यहां की 76.3 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा छोटे-छोटे व्यापार ग्रामीणों के रोजगार के मुख्य साधन हैं। कृषि का मौसमी स्वरूप तथा लघु कुटीर उद्योगों की दयनीय स्थिति के कारण ग्रामीण श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। अंततः ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या में दिन व दिन बेतहाशा वृद्धि हो रही है। देश की ग्रामीण जनता असुविधा एवं अभाव की जिन्दगी जी रही है। गरीब परिवार की महिलाएं विशेषकर भूमिहीन महिलाओं की स्थिति ज्यादा दयनीय है। अतः ग्रामीण कस्बे के लोगों की बदहाली एवं फटेहाली को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां व्यापक पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था की जाए। जैसा कि आधुनिक भारत के निर्माता पं. नेहरू ने कहा है: "ग्रामीण भारत की बेरोजगार एवं अपूर्ण रोजगार प्राप्त जनता की परेशानियों को कम करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रयास है।"

जवाहर रोजगार योजना क्या है?

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही बेरोजगारी उन्मूलन भारत की विकास नीति का प्रमुख मुद्दा रहा है। इसमें भी अधिकांश बल ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने पर दिया गया है। इसी उद्देश्य से 1980-81 से राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम एवं 1983-84 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम क्रियाशील थे। इन दोनों कार्यक्रमों का विलय कर इस वर्ष जो पं. नेहरू का शताब्दी वर्ष है, नेहरू के नाम पर ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने हेतु एक नई योजना का श्री गणेश किया गया। इसी योजना का नाम जवाहर रोजगार योजना है। यह योजना अप्रैल 1989 से लागू है। इसके कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका को विशेष स्थान दिया गया है। इस योजना का पंचायती व्यवस्था द्वारा क्रियान्वयन विकेंद्रित नियोजन की दिशा में एक नया कदम है।

यह योजना क्यों?

जब ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने हेतु पहले से ही कई योजनाएं चल रहीं थीं तो फिर इस योजना का क्रियान्वयन क्यों किया गया—ऐसा प्रश्न बुद्धिजीवियों के द्वारा उठाया जाना स्वाभाविक है। पूर्व के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निम्न त्रुटियां पाई गईं—

(1) अलग-अलग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ती थी।

(2) प्रशासनिक खर्च बहुत अधिक होता था।

(3) गांव की भोली भाली जनता को इन कार्यक्रमों का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पाता था।

(4) पूर्व के कार्यक्रम देश की सिर्फ 55 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक ही पहुंच पाए थे।

इस योजना के क्रियान्वयन द्वारा सरकार ने उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया है जो अब तक चलाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार के सामने आई हैं।

योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बेरोजगार लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करना है। गौण उद्देश्य के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का सृजन, जो गांव की माली एवं सामूहिक व्यवस्था की दृढ़ता में सहायक बनें, गांवों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली हो और गांवों की फटेहाली में क्रमोत्तर सुधार लाने वाली हो, करना है। खानाबदोश जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने की एकीकृत योजनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जहां पहले के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सिर्फ 55 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक ही पहुंच पाए हैं, वहां इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचना है। ऐसी उम्मीद है कि योजना के द्वारा प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके घर के नजदीक कार्यस्थल पर प्रतिवर्ष 50 से 100 दिन का रोजगार मिल सकेगा।

धनराशि आबंटन का मापदंड

इस योजना पर कुल व्यय का 80 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकार को वहन करना है। राज्यों को धनराशि के आबंटन का मुख्य आधार, राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या को बनाया गया है। यह धनराशि सीधे जिलों को सौंपी जाएगी जिसका निर्धारण पिछड़ेपन के मापदंड के अनुसार किया जाएगा जैसे—कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का हिस्सा, कुल मजदूरों की तुलना में कृषि मजदूरों का अनुपात एवं प्रति

हैक्टेयर खेती की पैदावार की मात्रा। भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी, मरुस्थली तथा द्वीप समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना की एक विशिष्टता यह है कि इसके द्वारा जितने रोजगार के दिनों का सृजन किया जाएगा उसका 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अनुमान हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले देश के 4 करोड़ 40 लाख परिवारों के घरों तक यह योजना पहुंचेगी।

कार्य व्यवस्था

केन्द्र सरकार के द्वारा सीधे जिला को आबंटन किया जाएगा। जिला से आबंटन सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेगा। 'जवाहर रोजगार योजना' के नाम से निकटतम बैंक या डाकखाना में एक बचत खाता होगा जिसका संचालन मुखिया एवं पंचायत सेवक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। ग्राम पंचायत की आम सभा में पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप, गांव के विकास में सहायक एवं अधिक रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं का चयन किया जाएगा।

स्पष्ट है कि इस योजना में पहले ही योजनाओं की तुलना में कार्यक्रम का अमल अधिक खुला एवं साफ सुथरा होगा। आम सभा में कार्यक्रमों के चयन के कारण हर ग्रामवासी को यह जानकारी होगी कि किन-किन योजनाओं का चयन किया गया, उन पर कितना व्यय होगा, किस एजेंसी के द्वारा काम किया जा रहा है, कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए एवं कितना मिल रहा है आदि। परिणाम यह होगा कि न तो काम करने वाले श्रमिकों को कम मजदूरी ही मिलेगी और न काम का स्तर ही घटिया होगा।

व्याप्त आशंकाएं

यद्यपि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अब तक का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है फिर भी पिछले अनुभवों एवं पंचायतों की वर्तमान स्थिति तथा कार्य प्रणाली के कारण हमारे समक्ष आशंकाओं की खाई एवं प्रश्नों के पहाड़ खड़ा है। यह योजना अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होगा—इस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इसके निम्नांकित कारण हैं:

(1) देश के अधिकांश राज्यों में अब तक पंचायती राज व्यवस्था को व्यवस्थित आधार भी प्रदान नहीं किया गया है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां वर्षों से ग्राम पंचायतों के चुनाव ही संपन्न नहीं किए गए हैं।

(2) अब तक पंचायतों को हमारे देश में समुचित महत्व प्राप्त नहीं था। परिणामतः पंचायतें लगभग अपंग हो गईं। न तो इनके पास आय के पर्याप्त स्रोत ही रहे और न कुशल प्रणाली ही। इससे पंचायती राज व्यवस्था में जड़ता आ गई।

(3) इतनी बड़ी राशि के समुचित उपयोग के लिए पंचायतों को परियोजना बनाने एवं उसका क्रियान्वयन कराने की विशीष्ट योग्यता होनी चाहिए। जिसका सख्त अभाव है। इसके साथ ही ग्रामीण साधनों के वास्तविक स्वरूप का भी ज्ञान पंचायतों को नहीं है।

(4) ग्राम पंचायतें भी बेदाग नहीं हैं। इनका इतिहास छिपा नहीं है। अधिकांश पंचायतों पर प्रभुतासंपन्न लोगों या असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। अतः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, कृषि श्रमिकों, भूमिहीन मजदूरों, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के लोगों तक यह रोजगार योजना पहुंच पाएगी—यह संदेहास्पद है।

सुझाव

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जवाहर रोजगार योजना में जहां एक ओर ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की अपार क्षमता है वहीं दूसरी ओर अभी से ही इसके क्रियान्वयन पर संदेह की उंगलियां उठने लगी हैं। इन आशंकाओं को निर्मूल तभी किया जा सकता है जब इसका क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो एवं वांछितों को इसका लाभ मिले। जैसा कि पं. नेहरू ने कहा है "हम जो भी योजना तैयार करें उसकी सफलता की कसौटी यह होगी कि हमारे लाखों देशवासियों, जो मात्र अपनी जीविका पूरा कर पाते हैं, को उससे कितनी राहत मिलती है यानि हमारे अधिकांश देशवासियों की भलाई और प्रगति होती है। अन्य सभी लाभ इस मुख्य दृष्टिकोण के अधीन होनी चाहिए।" योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित सुझाव हैं—

(1) प्रत्येक पंचायत में योजनाओं का चयन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि उनका चयन इस प्रकार किया जाए जिससे कि पंचायत के प्रत्येक गांव को लाभ मिले।

(2) निहित स्वार्थ की दृष्टि से योजनाओं के स्थल का चुनाव नहीं किया जाए।

(3) इस योजना के द्वारा जो भौतिक पूंजी की सृष्टि हो उसमें स्थायित्व होना चाहिए।

(4) परियोजनाओं के क्रियान्वियन हेतु आवश्यक अर्थसंरचना एवं विशेषज्ञों की कमी को यथाशीघ्र दूर किया जाए।

(5) योजनाओं पर कार्य मुख्य रूप से वैसे मौसम में कराया जाए जब कृषि क्षेत्र में श्रमिकों को कम रोजगार या नहीं के बराबर रोजगार उपलब्ध होता हो।

(6) पंचायतें उन सभी प्रधान क्षेत्रों एवं संसाधनों पर कड़ी नजर रखें जिनके निजि क्षेत्र के हाथ में चले जाने के बाद रोजगार के अवसर सिकुड़ जाते हैं।

(7) पंचायतें अपनी उपलब्धियों, समस्याओं एवं असफलताओं का समय-समय पर मूल्यांकन करें।

(8) कार्यों का चयन, स्थल का चयन, कार्य का निम्न स्तर एवं मजदूरी का भुगतान संबंधी कोई शिकायत होने पर उसके शीघ्र जांच की व्यवस्था हो। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध शीघ्र उचित कार्रवाई भी हो।

(9) नियमित एवं समय पर अंकेक्षण की व्यवस्था हो।

यदि उपरोक्त तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए इस योजना का कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया तो निश्चय ही यह योजना अपने महान उद्देश्य—देश की बेरोजगार एवं अपूर्ण रोजगार प्राप्त ग्रामीण जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफल होगी। परन्तु यह तभी संभव है जब इस योजना के वास्तविक लाभार्थियों अर्थात् ग्रामीण वर्गों—विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, कृषि श्रमिकों एवं महिलाओं को जागृत किया जाए। तथ्यों की उन्हें सही जानकारी दी जाए। इसके अभाव में दलालों एवं बिचौलियों के द्वारा उनका शोषण होता ही रहेगा।

अर्थशास्त्र विभाग,
टी. ए. स. कालेज हिसुआ नवादा, बिहार-805103

तुलसी

अशोक कुमार

तुलसी सर्वमान्य और सर्वपूज्य वनस्पति होने से सर्वत्र प्रसिद्ध है। पवित्र वस्तु वही कही जा सकती है, जो स्वच्छ हो और कोई विकार न करे। तुलसी भी ऐसी ही गुणकारी है, जो सैकड़ों रोगों को दूर करती है। इसलिए वह हर स्थान पर पूजनीय और स्तुति पात्र हो गई है। जिनके घर के द्वार पर तुलसी का बगीचा रहता है, वह घर तीर्थ के समान पवित्र है। तुलसी चरपरी, कड़वी, अग्नि-प्रदीपक, हृदय के लिए हितकारी, गर्म, वात और पित्त को कम करने वाली, रक्त विकार, पसली की पीड़ा, कफ को नष्ट करती है। यद्यपि तुलसी में अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति है, तो भी उसमें मुख्य गुण वायु को शुद्ध करने का है। तुलसी की सुगन्ध युक्त वायु जहां-जहां होती है, वहां की वायु तत्काल शुद्ध हो जाती है।

तुलसी में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाले विषैले जन्तुओं को नष्ट करने की शक्ति है, इसलिए उसके संसर्ग में रहने से अकाल मृत्यु के पंजे से बचाव रहता है। तुलसी का रस शरीर पर चुपड़ लेने से मच्छर नहीं काटते। तुलसी में एक प्रकार का तेल है जो वायु द्वारा हवा में संचार करता है जिससे हवा शुद्ध होती है और अनेक प्रकार के जीवाणु नष्ट होते हैं। तुलसी के पत्तों का रस काली मिर्च के चूर्ण में मिलाकर पीने से विषमज्वर दूर होता है। इसके अतिरिक्त तुलसी में 'थायमल' नामक औषधि-द्रव्य होने से इसका प्रयोग त्वचा के रोगों पर बहुत लाभकारी होता है। तुलसी कुरूप शरीर को रूपवान बनाती है। इसको नींबू के रस में मिलाकर लगाने से दाद, खुजली आदि दूर हो जाते हैं।

तुलसी में अनेक प्रकार के गुण और भी हैं। चाय के बदले में इसके पत्तों को पानी में उबालकर उसमें दूध और शक्कर मिला कर पीने से थकान, सुस्ती आदि दूर होती है। सांप के काटने पर तुरन्त एक दो मुट्ठी तुलसी के पत्ते खा लो और तुलसी की जड़ मक्खन में घिस कर डंश की हुई जगह पर लगा दो, जहर बाहर निकल जाएगा।

तुलसी में त्वचा को सुंदर बनाने के और भी गुण हैं। इसमें शरीर के ऊपर सफेद दागों को दूर करने की शक्ति है। मुंह पर कील, मुहांसे, धब्बे आदि भी इससे दूर होते हैं। तांबे के बर्तन में एक दिन तक नींबू का रस भर कर रखें, फिर उसमें तुलसी के पत्तों का रस तथा काली कसौंदी का रस मिलाकर धूप में रखें, गाढ़ा होने पर मुंह पर लगाये, तो मुंह के काले धब्बे दूर होते हैं।

तुलसी में कफ और खांसी दूर करने का अपूर्व गुण है। नागर बेल के पत्ते, काली तुलसी के पत्ते, लोंग और थोड़ा-सा कपूर मिलाकर दिन में दो-तीन बार सेवन करने से स्वास नली में रुका कफ निकल जाता है। श्वास-पीड़ा कम होती है। पकाश्य का क्रम बिगड़ने से अमाशय में जो शूल उठती है, उसको मिटाने के लिए तुलसी के पत्तों का रस पिलाना चाहिए।

तुलसी में इस तरह के अनेक गुण होने से प्रत्येक धर्म में इसका वृक्ष पवित्र माना गया है। हिन्दू स्त्री-पुरुष तो इसे देवी मानकर इसकी पूजा करते हैं।

मकान नं.268, सैक्टर-13, हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

ग्रामीण बाजार-पहुंच की चुनौती

डा. अजय जोशी

हमारा देश ग्राम प्रधान देश है। यहां की कुल जनसंख्या का 76.4 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इस प्रकार देश के उपभोक्ताओं का लगभग तीन चौथाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में है। हमारे औद्योगिक तथा उपभोक्ता माल उत्पादक अब तक ग्रामीण बाजारों तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस प्रकार एक विशाल उपभोक्ता समूह विपणनकर्ताओं के पहुंच के बाहर है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि आज की एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु ग्रामीण बाजारों में पहुंचना नितान्त आवश्यक है। हमारे देश में इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ा बाजार आज भी अनछुआ पड़ा है।

स्वतन्त्रता के चार दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गईं। इन योजनाओं का सुपरिणाम यह निकला कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार भी हुआ है। ग्राम विकास की योजनाओं के कारण लोगों का आर्थिक स्तर भी सुधरा है। इससे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं जिनके फलस्वरूप विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी तीव्र वृद्धि हुई है।

संचार, यातायात के साधनों का विकास तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ने कई ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग का गांवों में सृजन कर दिया है जिनकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो, टी. वी. आम आवश्यकता की वस्तु बन गए हैं। सड़कों आदि के विकास के कारण साइकिल, मोपेड, मोटर साइकिल आदि उत्पादों की मांग में भी तीव्र वृद्धि हुई है। सौंदर्य प्रसाधनों, वस्त्रों, घड़ियों, फर्नीचर तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ती जा रही है।

कृषि के उन्नत साधनों के प्रयोग पर बल, कृषक शिक्षा तथा विद्युतीकरण के कारण रासायनिक खाद, उर्वरक, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट, उन्नत बीजों आदि की मांग भी तेजी से बढ़ी है। कृषि संरक्षण हेतु कीट नाशक दवाइयों की मांग में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है।

विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण बाजारों में प्रवेश हमारे व्यवसायी तथा उद्योगपति नहीं कर पाए हैं। ग्रामीण बाजारों में प्रवेश उनके लिए आज भी गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके कई कारण हैं इनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

(1) हमारे देश में लगभग 5 लाख गांव हैं। इनमें से लगभग 70% गांवों की आबादी 1000 से भी कम है। इतनी बड़ी संख्या में इतनी कम आबादी वाले गांवों में विपणनकर्ताओं का पहुंचना आसान कार्य नहीं है। इन गांवों में यातायात तथा संचार सुविधाओं का भी नितान्त अभाव है। इस कारण से भी विपणनकर्ताओं की पहुंच मुश्किल हो रही है।

(2) ग्रामीण शिक्षा के अभाव के कारण विज्ञापन संदेश, ग्रामीण उपभोक्ताओं तक सही रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण से भी ग्रामीण विपणन कार्य कठिन हो गया है।

(3) भारत में ग्रामीण गरीबी की दर 40.4 प्रतिशत है। यह दर काफी ऊंची है। इस कारण ग्रामीण जनता की क्रय क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा ग्रामीण उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुएं चाहते हुए भी क्रय नहीं कर पाते हैं।

(4) देश के अधिकांश भागों में कृषि आज भी मानसून का जुआ है। अतः यदि मानसून अच्छा न हो तो कृषि से सम्बन्धित विभिन्न उत्पादों की मात्रा एकदम गिर जाती है। इसके साथ-साथ अन्य उत्पादों की मांग भी क्रय शक्ति में कमी हो जाने के कारण गिर जाती है।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों की रूढ़िया, परम्पराएं तथा मान्यताएं भी नवीन उत्पादों के उपयोग को रोकती हैं जिससे नवीन उत्पादों की मांग में कमी आती है।

इन सभी समस्याओं के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्रों को उपभोक्ता बाजार बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की मांग आ रही है। वास्तव में जितनी मांग आ रही है उतनी मांग की पूर्ति करने में भी हमारे विपणनकर्ताओं की कठिनाई आ रही है। वास्तव में ग्रामीण बाजारों के रूप में एक बड़ा क्षेत्र है जिस तरफ विक्रयकर्ताओं का पर्याप्त ध्यान नहीं गया है।

इस ओर ध्यान दिए जाने की नितान्त आवश्यकता है। विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में कई बार सर्वेक्षण भी किए हैं। सन् 1968 में हिन्दुस्तान लीवर लि. ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों का एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष में यह स्पष्ट किया गया था कि "ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को काफी ऊंची प्रतिशत उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं।" इसके बाद भी कई सर्वेक्षण हुए उनमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता उत्पादों के प्रति रुचि का ऊंचा प्रतिशत पाया गया।

समय-समय पर किए गए सर्वेक्षण से ग्रामीण उपभोक्ताओं की विभिन्न वस्तुओं की मांग के संदर्भ में जो सूचनाएं प्राप्त हुई वे इस प्रकार हैं–

क्र. सं.	विवरण	मांग प्रतिशत
1.	घरेलू बर्तन तथा सूती वस्त्र	80
2.	ऊनी वस्त्र	54
3.	नहाने तथा कपड़े धोने का साबुन	50
4.	साइकिल	80

इनके अतिरिक्त शृंगार सामग्री, मानव निर्मित धागा, बैटरियां, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन आदि की मांग में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। अब ग्रामीण जनता का इन उत्पादों के प्रति झुकाव बढ़ रहा है।

वर्तमान में विपणनकर्ता जब निरन्तर नवीन बाजारों की खोज तथा विकास में लगे हुए हैं तब यह आवश्यक है कि ग्रामीण बाजारों तक पहुंचने का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाए। यदि ग्रामीण बाजारों का एक भाग में भी सफलतापूर्वक पहुंचा जा सके तो विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों की मांग दुगने से भी अधिक हो सकती है। ग्रामीण बाजारों में पहुंच की चुनौती स्वीकार करना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस हेतु इन सुझावों को अपनाया जा सकता है–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी विज्ञापन अभियान चलाए जायें। इस हेतु रेडियो तथा टी. वी. प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।

(2) विज्ञापनों की भाषा तथा शैली ग्रामीण उपभोक्ताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इस हेतु चित्रात्मक पोस्टर्स आदि का उपयोग किया जा सकता है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय हेतु चल विक्रय केन्द्रों का प्रयोग काफी सफल हो सकता है। विभिन्न ग्रामीण संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं तथा व्यावसायियों द्वारा चल बिक्री केन्द्र बनाए जाने चाहिए तथा ग्रामीण उपभोक्ता की आवश्यकता की वस्तुएं इनके माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली प्रदर्शनियों, मेलों तथा समारोहों में उपभोक्ता दुकानें लगाई जानी चाहिए।

(5) ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं अधिक पसन्द करते हैं। उन्हें वस्तुओं के टिकाऊपन पर पूरा विश्वास दिलाया जाना चाहिए। वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन तथा उपभोग विधियों की प्रायोगिक जानकारी देनी चाहिए।

(6) ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता के वस्तुओं के मूल्य, माप-तोल तथा किस्म आदि के बारे में शिकायत नहीं आने देनी चाहिए। यदि कोई शिकायत है तो उसका तुरन्त समाधान किया जाना चाहिए।

(7) ग्रामीण उपभोक्ता रुचि का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ता सर्वेक्षण आयोजित किए जाने चाहिए। इन सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर उपभोक्ताओं तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।

यदि इन सुझावों को अपनाया जाए तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा पहुंचने का प्रयास किया जाए तो एक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का नया वर्ग तैयार किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री जे. आर. डी. टाटा के विचार उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार "यदि ग्रामीण जनसंख्या का 10 प्रतिशत भी औद्योगिक उत्पादों को नियमित रूप से क्रय करने लगे तो इन वस्तुओं के 6 करोड़ नए उपभोक्ता तैयार हो सकेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं का एक विशाल बाजार उपलब्ध है। बस आवश्यकता इसी बात की है कि इसके पहुंच की चुनौती को स्वीकार किया जाए। प्रबन्धक वर्ग ऐसी विपणन योजनाओं का निर्माण करे जिनसे न्यूनतम लागत पर इन उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा सके तथा उन्हें उत्पाद क्रय हेतु प्रेरित किया जा सके। यदि ऐसा होता है तो हमारे औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि होगी जो कि अन्ततोगत्वा हमारी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी।

सोनगिरी कुआ,
बीकानेर-334001 (राज.)

"बायोगैस से जलता है अब ग्रामीण का चूल्हा"

प्रकाश चन्द्र थपलियाल

उत्तर प्रदेश में पौड़ी जनपद के सबसे पिछड़े विकासखण्डों में से एक थलीसैंण विकास खण्ड के भीड़ा-गंगाऊ गांव को बायोगैस ग्राम कहा जा सकता है। इस गांव के श्री मनवरसिंह, श्री प्रेमलाल और श्री कुन्दन सिंह के रसोईघरों में अब लकड़ी नहीं बल्कि कूड़ा-करकट और गोबर की गैस जलती है। जिससे न धुआं, न बर्तन काले, न जंगल जाने की जहमत और गैस खुली भी हो तो कोई खतरा नहीं।

इन लोगों का कहना है कि यूं तो पहाड़ों में गोबर गैस के संयंत्र काफी पहले से लगने शुरू हो गए थे लेकिन ये संयंत्र सर्दियों में कम गैस पैदा कर पाते थे क्योंकि इस संयंत्र का ऊपरी हिस्सा अपेक्षाकृत खुला रहता था जो ठंड के कारण पूरी तरह गैस तैयार नहीं कर पाता था। दूसरे, उसमें केवल गोबर का ही उपयोग हो सकता था। दूसरी ओर बायोगैस का संयंत्र ऊपर से मिट्टी से बंद होता है जिससे बारहों महीने तापमान बना रहता है और हर मौसम में गैस मिलती रहती है। दूसरे इसमें कूड़ा-करकट भी उपयोग में आ जाता है। यह कूड़ा-करकट भी खाद का रूप ले लेता है और सामान्य गोबर से कई गुना अधिक उर्वरक होता है। इन तीनों संयंत्रों में से प्रत्येक की लागत नौ हजार रुपये के आसपास है जिसमें से लगभग 4 हजार रुपये सरकारी अनुदान मिल जाता है।

यह पूछे जाने पर कि उन्हें इन संयंत्रों को लगाने की प्रेरणा कहां से मिली तो ये लोग बताते हैं कि उनकी ग्राम सभा के ग्राम विकास अधिकारी श्री आर. एस. परमार की इसमें उल्लेखनीय भूमिका रही है। उन्होंने अच्छे मिस्त्री और ईंटों की आपूर्ति में उनकी पूरी सहायता की।

समस्याओं के बारे में इन ग्रामीणों का कहना है कि इनके लिए ईंट स्थानीय तौर पर नहीं मिलती है इसलिए कोटद्वार/रामनगर आदि स्थानों से मंगानी पड़ती है। अगर ईंटों की व्यवस्था सरकार कर दे तो ग्रामीणों को अधिक सुविधा रहेगी।

इस क्षेत्र में पर्यावरण के बारे में सजगता के कारण वनों का कटान लगभग रुक गया है। ऐसे में लकड़ी के स्थान पर जैव गैस का इस्तेमाल विवेकसंगत, मितव्ययितापूर्ण और स्वास्थ्यकर है। श्री मनवरसिंह, श्री प्रेमलाल और श्री कुन्दनसिंह की सफलता ने ग्रामीणों को जैव गैस की तरफ आकर्षित किया है। आशा है कि आने वाले समय में यहां घर-घर में जैव गैस का इस्तेमाल होने लगेगा। □

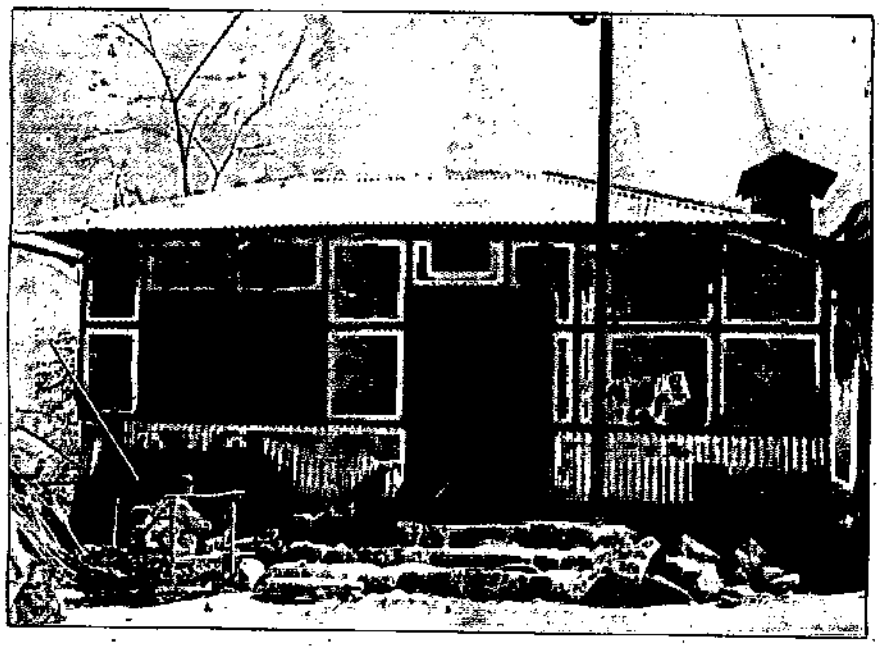

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी एवं इंदिरा आवास योजना कार्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जायेंगे जिससे ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/
P & T Regd. No. D (D
Licenced under U (D
to post without pre-payment at NDPSO, New

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
तारा आर्ट प्रेस, बी-4, हंस भवन, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित